[2019] 4 एस. सी. आर. 945

सुधाकर बाबूराव नांगनूर

वी.

नोरेश्वर रघुनाथराव शेंड और ओआरएस।

(सिविल अपील सं। 2468-2470 2019 का)

05 मार्च, 2019

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

सेवा कानून-पदोन्नति 'पकड़ें' नियम-खुली श्रेणी से संबंधित अपीलार्थी योजना सहायक के रूप में सेवा में शामिल हुआ

महाराष्ट्र सरकार में-1 जुलाई, 1992 को नगर योजनाकार के पद के लिए चयनित अपीलार्थी और प्रथम प्रतिवादी, अनुसूचित जाति-1 नवंबर, 2003 को नगर योजना उप निदेशक (डी. डी. टी. पी.) के रूप में पदोन्नत-3 अगस्त, 2006 को डी. डी. टी. पी. के रूप में पदोन्नत प्रथम प्रतिवादी-नगर योजना के संयुक्त निदेशक (जे. डी. टी. पी.) के पदोन्नति संवर्ग में, प्रथम प्रतिवादी को पदोन्नत किया गया था।

11 अगस्त, 2011 को जबकि अपीलार्थी को 2 जुलाई, 2013 को जे. डी. टी. पी. के रूप में पदोन्नत किया गया था-अपीलार्थी ने महाराष्ट्र के समक्ष ओ. ए. दायर किया। प्रशासनिक न्यायाधिकरण-इस बीच, पहला प्रतिवादी

30 अप्रैल, 2016 को नगर योजना निदेशक (डी. टी. पी.) के रूप में पदोन्नत किया गया था-ओ. ए. ने अनुमति दी-उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय को रद्द कर दिया

अपीलार्थी ने विशेष अनुमति याचिका दायर की-वापस ली गई-अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा दायर की-खारिज-अपीलार्थी का मामला कि एक बार जब उन्हें जे. डी. टी. पी. के रूप में पदोन्नत किया जाता है, तो 'पकड़' नियम को शासन करना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप, उन्हें पहले प्रतिवादी पर वरिष्ठता प्राप्त करनी चाहिए और यह कि पहले प्रतिवादी जे. डी. टी. पी. के संवर्ग में अपनी पिछली पदोन्नति के आधार पर परिणामी वरिष्ठता का दावा करने का हकदार नहीं था। वर्तमान अपील पर प्रारंभिक आपत्ति कि उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा याचिकाओं पर निर्णय लेने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का सहारा लेने पर रोक लगा दी गई थी, जिसे स्वीकार नहीं किया गया-20 अक्टूबर, 1997 का सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि पिछड़े वर्ग से संबंधित एक अधिकारी पदोन्नति संवर्ग में वरिष्ठता बनाए रखेगा और वरिष्ठता को संशोधित करने की आवश्यकता नहीं थी-20 मार्च, 2003 का जी. आर. उक्त जी. आर. का उल्लेख करते हुए जारी किया गया था जिसमें स्पष्ट किया गया था कि पदोन्नति संवर्ग में सरकारी सेवा में पिछड़े वर्ग और गैर-पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के बीच वरिष्ठता पदोन्नति की नियमित तारीख से नियंत्रित होगी -

परिणामी वरिष्ठता का सिद्धांत, जी. आर. दिनांक 20 मार्च, 2003 को आर. 4 , 1982 नियम जो किसी पद में वरिष्ठता निर्धारित करते हैं

निरंतर सेवा की अवधि द्वारा निर्धारित किया जाता है-इसके अलावा, 20 मार्च 2003 के जीआर को अधिनियम के बाद निरस्त नहीं किया गया है। 2004 के अधिनियम-उक्त जी. आर. को न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी-इस स्तर पर ऐसी चुनौती पर विचार नहीं किया जा सकता है-इसके अलावा, योग्यता पर रिक्ति होने की तारीख पर विचार किया जाना चाहिए-30 अप्रैल, 2016 को, अपीलकर्ता ने डी. टी. पी. के पद के लिए आवश्यक जे. डी. टी. पी. के रूप में तीन साल के अनुभव की पात्रता को पूरा नहीं किया-वरिष्ठता अपने आप में प्रबल नहीं हो सकती है जहां एक वरिष्ठ व्यक्ति की कमी है।

पदोन्नति के लिए पात्रता-भले ही स्वीकार कर लिया गया हो, कैच-अप नियम की प्रयोज्यता भी पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्त को पूरा करने वाले अपीलार्थी की आवश्यकता को समाप्त नहीं करेगी, उस तारीख को जब रिक्ति हुई थी-अपीलार्थी ने भी चुनौती नहीं दी है

जे. डी. टी. पी. के रूप में प्रथम प्रतिवादी की नियुक्ति-उच्च न्यायालय के निर्णय में महाराष्ट्र सिविल सेवाओं में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। (वरिष्ठता का विनियमन) नियम, 1982 आर। 4 - महाराष्ट्र राज्य

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विमुक्त जनजातियों, खानाबदोश जनजातियों, विशेष पिछड़े वर्ग और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लोक सेवा आरक्षण अधिनियम, 2001 (2004 का अधिनियम VIII)

एसएस। 3-6 , 11 - नगर योजना और मूल्यांकन निदेशालय

- (भर्ती) नियम, 2011-आर-3-भारत का संविधान-कला। 16 .

सेवा कानून-पदोन्नति-वरिष्ठता और पात्रता-आयोजितः सेवा न्यायशास्त्र में वरिष्ठता और पात्रता अलग-अलग अवधारणाएं हैं-वरिष्ठता अपने आप में प्रबल नहीं हो सकती है जहां एक वरिष्ठ के पास उच्च पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता नहीं है।

मुक्त श्रेणी से संबंधित अपीलार्थी महाराष्ट्र सरकार में योजना सहायक के रूप में सेवा में शामिल हुआ। द. अपीलार्थी और प्रथम प्रतिवादी, अनुसूचित जाति, थे

1 जुलाई, 1992 को नगर योजनाकार के पद के लिए चुना गया। अपीलार्थी को नगर योजना के उप निदेशक (डी. डी. टी. पी.) के रूप में पदोन्नत किया गया था

1 सेंट नवंबर, 2003 और पहले प्रतिवादी को पदोन्नत किया गया था

डी. डी. टी. पी. 3 अगस्त 2006 को। संयुक्त निदेशक के पदोन्नति संवर्ग में

नगर नियोजन (जे. डी. टी. पी.) के पहले उत्तरदाता को पदोन्नत किया गया था

11 अगस्त 2011 में जबकि अपीलार्थी को जे. डी. टी. पी. के रूप में पदोन्नत किया गया था

2 जुलाई, 2013। अपीलार्थी ने महाराष्ट्र के समक्ष ओ. ए. दायर किया प्रशासनिक न्यायाधिकरण। इस बीच, प्रथम उत्तरदाता सुधाकर बाबूराव नांगनूर बनाम।

नोरेश्वर रघुनाथराव शेंडे

उन्हें 30 अप्रैल, 2016 को नगर योजना निदेशक (डी. टी. पी.) के रूप में पदोन्नत किया गया था। ओ. ए. की अनुमति दी गई। उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय को रद्द कर दिया। अपीलार्थी ने विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसलिए, वर्तमान अपीलें।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 2019 की सिविल अपील संख्या 2468-2470 @विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या। 8769-8771 2018 काः

1.1 20 अक्टूबर 1997 को एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि एक अधिकारी पिछड़े वर्ग से संबंधित है।

पदोन्नति संवर्ग में वरिष्ठता बरकरार रखी जाएगी और वरिष्ठता को संशोधित करना आवश्यक नहीं है। 20 मार्च 2003 को, एक और

जी. आर. अन्य बातों के साथ-साथ ऊपर उल्लिखित पहले के जी. आर. के संदर्भ में जारी किया गया था। जी. आर. में कहा गया है कि अनुच्छेद में संशोधन के बाद

16 खंड (4 ए) को शामिल करके, यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित अधिकारियों की वरिष्ठता को विनियमित करने के लिए निर्देश

पदोन्नत संवर्ग में पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग 21 जून 1982 और 20 अक्टूबर 1997 के पूर्ववर्ती सरकारी प्रस्तावों द्वारा शासित होंगे। जी. आर. ने स्पष्ट किया कि पदोन्नति संवर्ग में सरकारी सेवा में पिछड़े वर्ग और गैर-पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के बीच वरिष्ठता पदोन्नति की नियमित तिथि द्वारा नियंत्रित की जाएगी। [पारस 49,50] [978-ई; 979-ए-बी]

1.2 20 मार्च 2003 का जी. आर. अनुच्छेद 16 (4 ए) में संवैधानिक संशोधन के बाद जारी किया गया था।

परिणामी वरिष्ठता को उस प्रावधान में शामिल किया गया था। अनुसूचित के लिए महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आरक्षण

जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जनजाति, खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2001 (2004 का अधिनियम VIII) (आरक्षण अधिनियम 2004) राज्य विधानमंडल द्वारा 2001 में अधिनियमित किया गया था। की सहमति राज्यपाल का 20 जनवरी 2004 को स्वागत किया गया और इसे 22 जनवरी 2004 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया। यह अधिनियम 85 वें संविधान संशोधन के बाद लागू हुआ है। अधिनियम के प्रवर्तन से पहले, आरक्षण समूह I पदों में प्रवेश स्तर तक सीमित था। [2019] 4 एस. सी. आर. के अधिनियमन के परिणामस्वरूप।

कानून, आरक्षण सार्वजनिक सेवाओं और पदों में सभी नियुक्तियों पर लागू होते हैं [धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ए) से (डी) द्वारा कवर की गई श्रेणियों को छोड़कर]। धारा 3 अधिनियम की प्रयोज्यता से संबंधित है और धारा 4 आरक्षण और प्रतिशत से संबंधित है। [पारस 52-54] [980-A, F-G; 981-A]

1.3 धारा 5 की उप-धारा (1) में कहा गया है कि पदोन्नति में आरक्षण पदोन्नति के सभी चरणों में होगा। नतीजतन,

प्रथम श्रेणी के पदों के भीतर पदोन्नति भी आरक्षण के नियम द्वारा शासित होती है। आरक्षण का प्रावधान एक कार्यकारी आदेश में शामिल किया जा सकता है। आरक्षण अधिनियम में परिणामी वरिष्ठता के मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है। धारा 5 की उप-धारा (2) पदोन्नति में भरे जाने वाले किसी भी पद के आरक्षण का प्रावधान करने वाले सरकारी आदेशों को बचाती है जो अधिनियम के अधिनियमन की तारीख से लागू थे। इसी तरह, धारा 6 की उप-धारा (1) के परंतुक में अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से लागू पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के संबंध में सरकारी आदेशों को बचा लिया गया है। 20 मार्च 2003 का जी. आर. वरिष्ठता के निर्धारण से संबंधित है जबकि धारा 5 की उप-धारा (2) आरक्षण प्रदान करने वाले आदेशों से संबंधित है। जीआर

20 मार्च 2003 का आदेश कोई सरकारी आदेश नहीं है जो धारा 5 की उप-धारा (2) या धारा 6 की उप-धारा (1) के प्रावधान के दायरे में आता है। हालांकि, राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियम के अधिनियमन को सरकारी प्रस्तावों में शामिल परिणामी वरिष्ठता के सिद्धांत को ओवरराइड या निरस्त करने के विधायी इरादे के रूप में नहीं माना जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 162 के प्रावधानों के अनुसरण में जारी किए गए कार्यकारी आदेश में परिणामी वरिष्ठता का प्रावधान निश्चित रूप से शामिल किया जा सकता है। 20 मार्च 2003 के सरकारी प्रस्ताव को आरक्षण अधिनियम 2004 के अधिनियमन पर निरस्त नहीं किया गया है। आरक्षण अधिनियम 2004 परिणामी वरिष्ठता के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। यह होगा

अधिनियम को इस रूप में पढ़ने की अनुमति नहीं है कि उसने परिणामी वरिष्ठता पर लागू सरकारी आदेशों को हटा दिया है,

इस तरह के प्रभाव के लिए स्पष्ट शब्द प्रदान करते हैं। [पैरा 56,59 और 60] [982-एच; 983-ई-एच; 984-ए-सी]

1.4 20 मार्च 2003 के जी. आर. ने परिणामी वरिष्ठता के सिद्धांत को शामिल करते हुए 20 के जी. आर. को दोहराया।

अक्टूबर 1997। यह वरिष्ठता नियम 1982 का भी विज्ञापन करता है जिसमें से सुधाकर बाबूराव नांगनूर बनाम।

नोरेश्वर रघुनाथराव शेंडे

नियम 4 विशेष रूप से निर्धारित करता है कि निरंतर सेवा की अवधि सेवा में पदों और संवर्गों के संबंध में वरिष्ठता का निर्धारण करेगी। 20 मार्च 2003 को जी. आर. को एक चुनौती महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष मांगी गई राहतों में इसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है। एक मनोरंजक चुनौती

न्यायाधिकरण के समक्ष किसी विशिष्ट चुनौती को संबोधित किए बिना परिणामी वरिष्ठता के सिद्धांत को शामिल करने वाले सरकारी प्रस्ताव की वैधता के लिए बस

अस्वीकार्य। इस स्तर पर इस तरह की चुनौती का मनोरंजन करने से पूरे महाराष्ट्र राज्य में गंभीर परिणाम होंगे, जिससे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को पहले ही दी गई बड़ी संख्या में पदोन्नति को नुकसान होगा। राज्य सरकार को न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के समक्ष दलीलों में न्यायसंगत ठहराने के लिए नहीं कहा गया था में परिणामी वरिष्ठता को अपनाने के अपने निर्णय का आधार

पहली बार के मंच में एक चुनौती का अभाव। परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने वाले प्रस्ताव को चुनौती देना वास्तव में एक गंभीर मामला है। इस तरह की चुनौती अदालत से एक नीतिगत परिपत्र को रद्द करने का आह्वान करती है जो परिणामी वरिष्ठता की सुरक्षा के उद्देश्य से जारी किया गया है जैसा कि संवैधानिक इतिहास से पता चलता है, यह संविधान के 85 वें संशोधन में अंतर्निहित एक स्पष्ट उद्देश्य था। इस तरह

1.5 वर्तमान मामले में, 20 मार्च 2003 के जी. आर. में परिणामी वरिष्ठता के लिए एक विशिष्ट प्रावधान है। अनुपस्थित। शुरू की गई कार्यवाही में जी. आर. को चुनौती

न्यायाधिकरण के समक्ष, इस स्तर पर ऐसी चुनौती पर विचार नहीं किया जा सकता है। [पारस 70] [987-बी] 1.6 रिक्ति होने की तारीख को पात्रता पर विचार किया जाना चाहिए। 30 अप्रैल 2016 को, अपीलार्थी ने डी. टी. पी. के पद के लिए आवश्यक पात्रता को पूरा नहीं किया। प्रथम प्रत्यर्थी के निर्णय पर हमला करते हुए, अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया है कि 11 अगस्त 2011 को जे. डी. टी. पी. के रूप में प्रथम प्रत्यर्थी की पदोन्नति 27 अक्टूबर 2008 के एक परिपत्र के तहत की गई थी जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने [2019] 4 एस. सी. आर.

इस प्रस्तुति से निपटने के लिए यह माना गया है कि पदोन्नति का आदेश, जब इसे 11 अगस्त 2011 को जारी किया गया था, तो इसकी वैधता की छाप थी। इसके अलावा, यहां तक कि अपीलार्थी ने भी यह स्थिति अपनाई कि चूंकि 27 अक्टूबर 2008 के सरकारी परिपत्र के संदर्भ में पहले प्रतिवादी को पदोन्नति दी गई थी, इसलिए उनका मानना था कि उनके पास 28 अगस्त 2014 को प्रकाशित जे. डी. टी. पी. की वरिष्ठता सूची पर आपत्ति करने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने नोट किया है कि 11 अगस्त 2011 को पहले प्रतिवादी की पदोन्नति के बाद, अपीलार्थी को 2 जुलाई 2013 को पदोन्नत किया गया था और यह तभी था जब 15 जनवरी 2016 को दूसरी वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिया गया था। अपीलार्थी ने फरवरी 2016 में ओ. ए. दायर किया। इस बीच, अपीलार्थी ने लगभग पाँच साल की अवधि के लिए जे. डी. टी. पी. के रूप में काम किया था। देरी ने उच्च न्यायालय के साथ उचित रूप से वजन किया है। इसके साथ एक समान रूप से प्रासंगिक विचार है जिसका न्यायालय के साथ विचार किया जाना चाहिएः अपीलार्थी ने जे. डी. टी. पी. के रूप में प्रथम प्रतिवादी की नियुक्ति को चुनौती नहीं दी है। चुनौती देने में विफल

नियुक्ति को इस आधार पर शून्य माना जाना चाहिए कि वह परिपत्र जिसके आधार पर पहले प्रतिवादी को पदोन्नत किया गया था बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले में इसे दरकिनार कर दिया गया है। [पारस 78,79] [990-डी-जी; 991-ए-बी]

नतीजतन, अपीलार्थी के लिए इस आधार पर चुनौती देने का अधिकार नहीं है कि नियुक्ति एक परिपत्र पर आधारित थी जिसे नियुक्ति के बाद अमान्य माना गया था। यह निवेदन कि नियुक्ति नियम 3 (च) के अर्थ के भीतर आकस्मिक है, लेकिन पहली प्रतिवादी को उसकी नियुक्ति के परिणाम से वंचित करने की कोशिश करने का एक और तरीका है। परिणामी वरिष्ठता। यह तथ्य कि रिक्तता 30 अप्रैल 2016 को तत्कालीन डी. टी. पी. की सेवानिवृत्ति पर हुई थी, अपीलार्थी की प्रस्तुतियों के दौरान विवादित नहीं है। जिस तारीख को रिक्ति हुई थी, अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से जे. डी. टी. पी. के रूप में तीन साल के अनुभव की पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया था। अपीलार्थी जिसे 2 जुलाई 2013 को पदोन्नत किया गया था, वह नगर योजना और मूल्यांकन निदेशालय (भर्ती) नियम 2011 के नियम 3 द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता था। वरिष्ठता और पात्रता सुधाकर बाबूराव नांगनूर बनाम हैं।

नोरेश्वर रघुनाथराव शेंडे

सेवा न्यायशास्त्र में विशिष्ट अवधारणाएँ। वरिष्ठता अपने आप में प्रबल नहीं हो सकती है जहां एक वरिष्ठ के पास उच्च पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता नहीं है। भले ही अपीलार्थी का विवाद

पकड़ नियम की प्रयोज्यता को स्वीकार किया जाना था, जो उसकी शर्त को पूरा करने की आवश्यकता को समाप्त नहीं करेगा

अगले उच्च पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता, उस तारीख को जब रिक्ति हुई थी। [पारस 80-82] [991-C-D, F-G, 992-E-F]

1.8 अपीलार्थी नियुक्ति को चुनौती देने में विफल रहा

11 अगस्त 2011 को जे. डी. टी. पी. के रूप में पहला उत्तरदाता। अपीलार्थी परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने वाले 20 मार्च 2003 के परिपत्र को चुनौती देने में विफल रहा। उच्चतम न्यायालय के समक्ष विकसित की गई चुनौती का आधार अभिवचनों में आधारहीन है। अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील की सरलता और उद्यम, अंतिम विश्लेषण में, एक कम अभिवचन का विकल्प नहीं हो सकता है। अपीलार्थी ने किसी भी स्तर पर जे. डी. टी. पी. के पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति को चुनौती नहीं दी और न ही उसने परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने वाले 20 मार्च 2003 के जी. आर. को चुनौती दी। अपीलार्थी 30 अप्रैल 2016 को डी. टी. पी. के पद के लिए पात्र नहीं था, जब रिक्ति हुई थी। इसलिए, वह पहले प्रतिवादी की नियुक्ति को चुनौती नहीं दे सकता है। उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं कहता है

किसी भी हस्तक्षेप के लिए। [पारस 83,85 और 86] [992-एफ-जी; 993-डी-ई]

2019 की सिविल अपील संख्या 2471-2473 @विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या। 14041- 14043 2018 काः

1.9 दीवानी अपील @विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) सं. में निर्णय को ध्यान में रखते हुए। 8769-8771 2018 की इन अपीलों को भी खारिज कर दिया जाता है। [993 - जी]

विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या में 2019 की एमए संख्या 2983-2985। 33086-33088 2017 का

1.10 दीवानी अपील @विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) सं. में निर्णय को ध्यान में रखते हुए। 8769-8771 2018 में, इन एम. ए. को प्रमुख अपीलों में निर्णय और आदेश के संदर्भ में निपटाया जाता है। [994 - बी]

सुशील फाइनेंस एंड लीजिंग कंपनी v. एम लता (2004) 13 एससीसी

675 ; अभिषेक मालवीय बनाम। अतिरिक्त कल्याण [2019] 4 एस।

इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) 3 पूरक। एस. सी. सी. 217 [1992] 2 पूरक। इसके बाद एस. सी. आर. 454 आया। महाराष्ट्र आवास उद्योग मंडल बनाम बृहन्मुंबई नगर निगम निर्णय दिनांकित

162016 के एसएलपी (सी) No.024660 और 024661 में अगस्त 2016; आर प्रभा देवी बनाम भारत संघ (1988) 2 एससीसी 233: [1988] 3 एस. सी. आर. 147-पर निर्भर।

(2018) 11 एससीसी 352: [2017] 8 एससीआर 951; रोशन लाल बनाम. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (1980) पूरक। एस. सी. सी. 449; पी. चित्तरंज मेनन बनाम। ए बालकृष्णन (1977) 3 एससीसी 255: [1977] 3 एससीआर 687; अमरजीत सिंह बनाम। देवी रतन (2010) 1 एस. सी. सी. 417 [2009] 15 एस. सी. आर. 1010; पालुरे भास्कर राव बनाम। पी रामसेशाय (2017) 5 एससीसी 783: [2017] 3 एससीआर 226; संजय के सिन्हा-द्वितीय बनाम। बिहार राज्य (2004) 10 एससीसी 734:

[2004] सुधाकर बाबूराव नांगनूर बनाम। नोरेश्वर रघुनाथराव शेंडे

2 पूरक। एससीआर 834; भूपेंद्र नाथ हजारिका बनाम। राज्य

एससीआर 1198; बी. ए. लिंगा रेड्डी बनाम। कर्नाटक राज्य परिवहन प्राधिकरण (2015) 4 एस. सी. सी. 515-निर्दिष्ट।

मामला कानून संदर्भ

(2006) 8 एससीसी 212

संदर्भित किया गया है

पैरा

9

(2004) 13 एस. सी. सी. 675

प्रतिष्ठित

पैरा

23

(2008) 3 एससीसी 108

प्रतिष्ठित

पैरा

25

[2012] 8 एससीआर 1089

प्रतिष्ठित

पैरा

26

(2014) 7 एस. सी. सी. 701

प्रतिष्ठित

पैरा

26

[2016] 1 एससीआर 266

प्रतिष्ठित

पैरा

26

[1992] 2 पूरक। एससीआर 454

पीछा किया।

पैरा

31

[1995] 4 पूरक। एससीआर 158

संदर्भित किया गया है

पैरा

36

[1996] 3 एससीआर 125

संदर्भित किया गया है

पैरा

38

(1997) 6 एस. सी. सी. 538

पैरा

39

संदर्भित किया गया है

[1999] 2 पूरक। एससीआर 521

संदर्भित किया गया है

पैरा

39

(2018) 10 एस. सी. सी. 396

संदर्भित किया गया है

पैरा

42

[2010] 14 एससीआर 532

संदर्भित किया गया है

पैरा

43

[2012] 4 एससीआर 118

संदर्भित किया गया है

पैरा

43

(2015) 10 एससीसी 292

संदर्भित किया गया है

पैरा

43

[2017] 1 एससीआर 631

पैरा

43

संदर्भित किया गया है

[2017] 8 एससीआर 951

पैरा

52

संदर्भित किया गया है

(1980) पूरक। एस. सी. सी. 449

संदर्भित किया गया है

पैरा

78

[1977] 3 एससीआर 687

संदर्भित किया गया है

पैरा

78

[2009] 15 एससीआर 1010

संदर्भित किया गया है

पैरा

78

[1988] 3 एससीआर 147

उस पर भरोसा करें

पैरा

82

[2017] 3 एससीआर 226

संदर्भित किया गया है

[2004] 2 पूरक। एससीआर 834

संदर्भित किया गया है

पै

रा 84

[2012] 12 एससीआर 587

संदर्भित किया गया है

पै

रा 84

[2007] 1 एससीआर 1198

संदर्भित किया गया है

पै

रा 84

(2015) 4 एस. सी. सी. 515

संदर्भित किया गया है

पै

रा 84

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 2468

2470 2019 से। 2018 की समीक्षा याचिका संख्या 17 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 21.03.2018 से

2016 की याचिका संख्या 9291,2016 की रिट याचिका संख्या 8859 में 2018 की समीक्षा याचिका संख्या 18 और 2016 की रिट याचिका संख्या 8860 में 2018 की समीक्षा याचिका संख्या 19।

के साथ

सिविल अपील सं। 2471-2473 2019 और एम. ए. सं. 2983-2985 एस. एल. पी. में 2018 का (सिविल) सं। 33086-33088 2017 से।

चंदर उदय सिंह, परमजीत सिंह पटवालिया, वी. गिरि, आर. पी. भट्ट, संजय आर. हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सागर एन. पाहुने पाटिल, गोपाल बलवंत

साठे, रवींद्र केशवराव अदसुरे, सिद्धेश्वर एन. बिरादर, सुश्री नताशा डालमिया, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, मकरंद डी. अदकर, ब्रज के. मिश्रा, विजय कुमार, मुस्तफा ए. खान, सागर माने, अमित भारद्वाज, कृष्ण देव जे., सुश्री अपर्णा झा, सुधांशु एस. चौधरी, सुश्री सुरभी गुलेरिया, सत्यजीत ए. देसाई, सुश्री अनघा ए. देसाई, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

2019 का नागरिक आवेदन Nos.2468-2470:

@ विशेष छूट याचिका (नागरिक) सं। 8769-8771 2018 का

1. छुट्टी दे दी गई।

2. बॉम्बे में उच्च न्यायालय, एक के माध्यम से बोल रहा है

खंड पीठ ने अपने सुधाकर बाबूराव नांगनूर बनाम की समीक्षा की मांग करने वाली तीन समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया।

नोरेश्वर रघुनाथराव शेंड [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

16 नवंबर 2017 का निर्णय। 12 दिसंबर 2017 को इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के आदेश के बाद उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिकाएं दायर की गईं। यह पाते हुए कि पहले के फैसले की समीक्षा करने का कोई कारण नहीं था, जो तय किए गए मापदंडों के अनुरूप था

उस अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को नियंत्रित करते हुए, उच्च न्यायालय ने 21 मार्च 2018 को समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया।

3. उच्च न्यायालय के समक्ष मूल याचिकाकर्ता अपील में है।

4. अपीलार्थी के साथ-साथ प्रथम प्रत्यर्थी में अधिकारी हैं

महाराष्ट्र सरकार की सेवा। अपीलार्थी खुली श्रेणी से संबंधित है जबकि पहला प्रतिवादी अनुसूचित जाति से संबंधित है। राज्य की सेवा में उनकी नियुक्तियों और पदोन्नति के संबंध में प्रासंगिक विवरण के साथ चार्ट इस प्रकार प्रदान किया गया है:

सुधाकर नांगनूर नोर्शवार शेड

पोजिशनिंग

(ओपन कैटेगरी)

(ए

ससी)

योजना सहायक

6.5.1983

सहायक शहर

6.5.1988

1

योजनाकार नगर योजनाकार

1.7.1992

1.7.

1992

डी. निदेशक

1.11.2003

3.8.

2006

कस्बा

योजना बनाना।

(डीडीटीपी)

2.7.2013

11.8.

2011

के संयुक्त निदेशक

योजना बनाना।

कस्बा

(जे. डी. टी. पी) योग्य नगर निदेशक को पदोन्नत किया जाएगा

पर

प्रचारित किया गया

30.4.2016

के अधीन

3.7.2016 पर

नियोजन (डी. टी. पी.,

ओ. ए. का

परिणाम

एमएस)

No.26

9/2016।

5. अपीलार्थी 6 मई 1983 को महाराष्ट्र सरकार में योजना सहायक के रूप में सेवा में शामिल हुए। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया के दौरान 1 जुलाई 1992 को नगर योजनाकार के पद के लिए अपीलार्थी और प्रथम प्रतिवादी दोनों का चयन किया गया था। अपीलार्थी को 1 नवंबर 2003 को एम. पी. एस. सी. के माध्यम से नामांकन द्वारा नगर योजना 2 के उप निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। पहले प्रतिवादी को 3 अगस्त 2006 को डी. डी. टी. पी. के रूप में पदोन्नत किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. नगर नियोजन 3 के संयुक्त निदेशक के पदोन्नति संवर्ग में दो पद थे, एक मुक्त श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए और दूसरा रोस्टर अंकों पर आरक्षण के लिए। 7 जनवरी 2011 को, जे. डी. टी. पी. का पद अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए रोस्टर के तहत खाली था। हालांकि, जनरल के 27 अक्टूबर 2008 के एक परिपत्र पर भरोसा करते हुए

प्रशासन विभाग, पहले उत्तरदाता के नाम की सिफारिश 7 जनवरी 2011 को की गई थी। हालांकि पहला प्रतिवादी अनुसूचित जाति का है, लेकिन उसे 11 अगस्त 2011 को जे. डी. टी. पी. के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया था। 2 जुलाई 2013 को एक सरकार के आधार पर

29 दिसंबर 2012 के प्रस्तावों के अनुसार, जे. डी. टी. पी. के संवर्ग की संख्या को बढ़ाकर आठ पद कर दिया गया था, जिनमें से पांच पद खुली श्रेणी के लिए थे जबकि तीन पद आरक्षित थे। 2 जुलाई 2013 को, अपीलार्थी को जे. डी. टी. पी. के पद पर पदोन्नत किया गया था।

7. अनिवार्य रूप से, अपीलार्थी का मामला यह है कि डी. डी. टी. पी. की वरिष्ठता सूची में, वह पहले प्रतिवादी से वरिष्ठ स्थान पर था। पहला उत्तरदाता

11 अगस्त 2011 को जे. डी. टी. पी. के रूप में पदोन्नत किया गया था जबकि अपीलार्थी को बाद में 2 जुलाई 2013 को पदोन्नत किया गया था। अपीलार्थी का दावा है कि एक बार जब उसे जे. डी. टी. पी. के रूप में पदोन्नत किया जाता है, तो 'पकड़' नियम को लागू करना चाहिए और परिणामस्वरूप, उसे पहले प्रतिवादी पर वरिष्ठता प्राप्त करनी चाहिए। अपीलार्थी की शिकायत के इस पहलू की सराहना करने के लिए, वरिष्ठता सूची से संबंधित भौतिक तथ्य इस प्रकार प्रदान किए गए हैं:

वरिष्ठता सूची

((i) 14 फरवरी 2011

1 जनवरी 2009 को डी. डी. टी. पी. की वरिष्ठता सूची के लिए एक परिपत्र जारी किया गया था। अपीलार्थी क्रम संख्या 3 पर खड़ा था और पहला प्रतिवादी क्रम संख्या 9 पर खड़ा था।

((ii) 1 जून 2014

1 जनवरी 2014 को "वर्तमान में नियुक्ति की तारीख" के आधार पर जे. डी. टी. पी. की अस्थायी वरिष्ठता सूची के लिए एक पत्र जारी किया गया था।

पोस्ट ";

(iii) 28 अगस्त 2014

1 जनवरी 2014 को "वर्तमान में नियुक्ति की तारीख" के आधार पर जे. डी. टी. पी. की अंतिम वरिष्ठता सूची के लिए एक परिपत्र जारी किया गया था।

पोस्ट ";

4 जीएडी

5 जी. आर. सुधाकर बाबूराव नांगनूर बनाम। नोरेश्वर रघुनाथराव शेंड [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

((iv) 15 जनवरी 2016

नियमित नियुक्ति की तिथि के आधार पर 1 जनवरी 2015 को जे. डी. टी. पी. की अंतिम वरिष्ठता सूची के लिए एक परिपत्र जारी किया गया था।

पदोन्नति की नियमित तिथि ";

(v) 8 मार्च 2016

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक प्रश्न के उत्तर में,

अपीलार्थी को सूचित किया गया कि पहले प्रतिवादी की पदोन्नति जी. ए. डी. की सहमति से नियमित की जाएगी।

और भविष्य में एम. पी. एस. सी. की मंजूरी के साथ; और

(vi) 30 अप्रैल 2016

नगर योजना निदेशक का पद सेवानिवृत्त होने वाला था, जिसके बाद यह पद खाली हो जाएगा।

8. 15 जनवरी 2016 की वरिष्ठता सूची पर आपत्ति दर्ज करने के बाद, अपीलार्थी ने महाराष्ट्र सरकार के समक्ष एक मूल आवेदन दायर किया।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण। सीधे शब्दों में कहें तो न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलार्थी का मामला यह था कि यह मानते हुए भी कि 11 अगस्त 2011 को (अपीलार्थी की पदोन्नति से पहले) आरक्षित रिक्ति के खिलाफ जे. डी. टी. पी. के रूप में पहले प्रतिवादी की पदोन्नति नियमित प्रकृति की थी, वह अपने पहले के आधार पर परिणामी वरिष्ठता का दावा करने का हकदार नहीं था।

जे. डी. टी. पी. के संवर्ग में पदोन्नति, अपीलार्थी (सामान्य श्रेणी का एक उम्मीदवार) के विरुद्ध जो डी. डी. टी. पी. के संवर्धक संवर्ग में उससे वरिष्ठ था।

9. अपीलार्थी के प्रस्तुत करने में, परिणामी अनुदान

फीडर संवर्ग में अपने वरिष्ठों की तुलना में पहले पदोन्नत आरक्षित श्रेणियों के व्यक्तियों को वरिष्ठता स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की गई थी

महाराष्ट्र ने नगर योजना और मूल्यांकन विभाग (भर्ती) नियम 1984 में वरिष्ठ संवर्ग में पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को मापने और प्रदर्शित करने के लिए कोई कवायद नहीं की थी। इस तरह की कवायद के अभाव में, यह आग्रह किया गया कि इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय का अधिदेश 6 डी. टी. पी. 0। ए. 269 2016 का 8 न्यायाधिकरण [2019] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज बनाम भारत संघ '(' नागराज ') पूरा नहीं हुआ था। के साथ

अन्यथा, अपीलार्थी ने जोर देकर कहा किः

11 अगस्त 2011 को डी. डी. टी. पी. कैडर से जे. डी. टी. पी. के रूप में उनकी पदोन्नति के संबंध में, अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के रूप में पहला प्रतिवादी उस रिक्ति का हकदार नहीं था जो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित थी। हालांकि, उन्हें पदोन्नत किया गया था

27 अक्टूबर के जी. ए. डी. परिपत्र के आधार पर जे. डी. टी. पी. के रूप में 2008. इस परिपत्र को मगस वर्ग में बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के एक फैसले द्वारा अधिकार से बाहर माना गया था।

कर्मचारी-अधिकारी सुरक्षा महासंघ बनाम राज्य

महाराष्ट्र ("महासंघ") ने 9 मई 2013 को अपनी औरंगाबाद पीठ में 1 0 प्रस्तुत किया। निर्णय के अनुसार, परिपत्र महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक के प्रावधानों के विपरीत था।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विमुक्त जनजातियों, खानाबदोश जनजातियों, विशेष पिछड़े वर्ग और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सेवा आरक्षण अधिनियम 2001

11 अगस्त 2011 को जे. डी. टी. पी. के रूप में पहले प्रतिवादी की पदोन्नति आकस्मिक थी और नियमित नियुक्ति नहीं थी। इसलिए, वह जे. डी. टी. पी. के रूप में अपनी पदोन्नति के लाभों का दावा करने का हकदार नहीं है और कैडर की अंतिम वरिष्ठता सूची में गलत तरीके से अपीलार्थी से वरिष्ठ के रूप में दिखाया गया है; और

) 15 जनवरी 2016 को राज्य द्वारा प्रकाशित अंतिम वरिष्ठता सूची आरक्षित श्रेणी के पदोन्नतियों के लिए परिणामी वरिष्ठता को नियंत्रित करने वाली कानून की तय स्थिति का उल्लंघन है जैसा कि नागराज में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा तय किया गया है।

(ऊपर)।

0. मुख्य रूप से, उपरोक्त आधारों पर, अपीलार्थी ने

न्यायाधिकरण के समक्ष एनजी राहत -

1 जनवरी 2015 को राज्य द्वारा 15 जनवरी 2016 को प्रकाशित अंतिम वरिष्ठता सूची को अलग करते हुए जे. डी. टी. पी.

एससीसी 212

2011 का शासन सं. 3077

2004 का I "।

आरक्षण अधिनियम 2004 "सुधाकर बाबूराव नांगनूर v. नोरेश्वर रघुनाथराव शेंड [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड, जे.]

(ii) 1 जनवरी 2015 को जे. डी. टी. पी. के संवर्ग में वरिष्ठता सूची की समीक्षा और संशोधन करने का निर्देश, डी. डी. टी. पी. के फीडर संवर्ग में वरिष्ठता में अपने पद के अनुरूप पहले प्रतिवादी से ऊपर अपीलार्थी की वरिष्ठता तय करके; और

(iii) 15 जनवरी 2016 को प्रकाशित अंतिम वरिष्ठता सूची के आधार पर डी. डी. टी. पी. के पद पर पदोन्नति के लिए चयन करने से राज्य को रोकने वाला एक आदेश जब तक कि यह नहीं हो जाता।

समीक्षा और संशोधित।

सरकार ने 30 को पहले प्रतिवादी को डी. टी. पी. के पद पर पदोन्नत किया। अप्रैल 2016। न्यायाधिकरण ने 2 मई 2016 के अपने फैसले में ओ. ए. को अनुमति दी। इसने जे. डी. टी. पी. की 15 जनवरी 2016 की वरिष्ठता सूची को रद्द कर दिया और पहले प्रतिवादी की नियमित पदोन्नति की तारीख तय करके एक नई वरिष्ठता सूची तैयार करने के निर्देश जारी किए, जिसके बाद डी. टी. पी. के पद पर एक नया पदोन्नति आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया।

12. प्रथम प्रत्यर्थी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष इन निर्णयों को चुनौती देने के लिए कार्यवाही शुरू कीः

न्यायाधिकरण। राज्य सरकार ने न्यायाधिकरण के निर्णय को चुनौती दी। 16 नवंबर 2017 के अपने फैसले से, उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और न्यायाधिकरण के फैसले को रद्द कर दिया। अपीलार्थी ने अनुच्छेद 136 के तहत कार्यवाही में इस न्यायालय का रुख किया

उच्च न्यायालय के फैसले पर हमला करने के लिए संविधान।

2016 की रिट याचिका संख्या 8859 को विलंब को माफ करने वाले न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने के लिए स्थापित किया गया था; 2016 की रिट याचिका संख्या 8860 को 201 के ओ. ए. संख्या 269 में न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ स्थापित किया गया था।

13 2016 की रिट याचिका संख्या 9291 [2019] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. 12 दिसंबर 2017 को, जब विशेष अनुमति याचिका थी

सुना, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

" श्री रंजीत कुमार, विद्वान वरिष्ठ वकील

उच्च न्यायालय के समक्ष इस पर विचार नहीं किया गया है। यदि ऐसा है, तो यह याचिकाकर्ता पर है कि वह अपने उपलब्ध उपायों को आगे बढ़ाए

उस मुद्दे पर कानून के तहत उसे।

ऐसी स्वतंत्रता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, ये विशेष अनुमति याचिकाएँ हैं -

हटाने की अनुमति दी गई।

हम स्पष्ट करते हैं कि हमने इस मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया है।

हालाँकि, यह दोनों पक्षों के लिए सभी को लेने के लिए खुला होगा

पकड़ के बिंदु पर उच्च न्यायालय के समक्ष उपलब्ध दलीलें

ऊपर। "

इस न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के संदर्भ में, अपीलार्थी ने याचिका दायर की

समीक्षा में उच्च न्यायालय। जैसा कि पहले कहा गया था, समीक्षा याचिकाओं को 21 मार्च 2018 को खारिज कर दिया गया था। पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय के निर्णय और रिट याचिकाओं में मूल निर्णय से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत नए सिरे से इस न्यायालय का रुख किया।

14. इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी ने

विविध आवेदनों की स्थापना 1 5 एक वार्ताकार के साथ

आवेदन 1 6. विविध आवेदनों द्वारा, अपीलार्थी ने 12 दिसंबर 2017 के आदेश का स्पष्टीकरण मांगा है ताकि समीक्षा विफल होने पर नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए इस न्यायालय से विशिष्ट अनुमति ली जा सके। उच्च न्यायालय के समक्ष। 28 नवंबर 2018 को विविध आवेदनों पर नोटिस जारी किया गया था।

15. रखरखाव पर प्रारंभिक आपत्ति ली गई है।

श्री आर. पी. भट्ट द्वारा विशेष अनुमति याचिका में, प्रथम प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील। श्री भट्ट ने आग्रह किया कि 12 दिसंबर 2017 के इस न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप, सभी मुद्दे पकड़ नियम के आवेदन के अलावा जब अपीलार्थी को समीक्षा के माध्यम से उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता दी गई तो उसे छोड़ दिया गया। एक बार जब उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा को खारिज कर दिया गया, तो निम्नलिखित

प्रस्तुतिकरण के अनुसार परिणाम सामने आने चाहिएः

1 5 एमए संख्या। 2983-85 2018 का

2018 का 1 6 आईए सं. 167323 सुधाकर बाबूराव नांगनूर बनाम। नोरेश्वर रघुनाथराव शेंड [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

(i) रिट याचिकाओं की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय के मूल आदेश को चुनौती देने पर रोक है, क्योंकि विशेष अनुमति याचिका में मूल आदेश के खिलाफ समीक्षा खारिज होने के बाद अपीलार्थी को नए सिरे से आगे बढ़ने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है।

((ii) संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत केवल इसके खिलाफ एक चुनौती।

पुनरीक्षण याचिका पर आदेश बनाए रखने योग्य नहीं है।

प्रस्तुतिकरण के समर्थन में, इस न्यायालय के कुछ निर्णय हैं -

जिस पर भरोसा किया गया था जिसे बाद में स्वीकार किया जाएगा।

16. इस न्यायालय का पहला कार्य 12 दिसंबर 2017 के आदेश का अर्थ निकालना है। जैसा कि आदेश से पता चलता है, अपीलार्थी की शिकायत

यह था कि हालांकि पकड़ नियम का मुद्दा उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया था, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया था। इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ जिसमें माननीय न्यायमूर्ति श्री कुरियन जोसेफ और माननीय श्री न्यायमूर्ति शामिल हैं

विशेष अनुमति याचिकाओं की सुनवाई करने वाले अमिताव रॉय ने इस निवेदन के जवाब में कहा कि "यदि ऐसा है, तो यह याचिकाकर्ता पर है कि वह उस मुद्दे पर कानून के तहत उसके लिए उपलब्ध अपने उपायों को आगे बढ़ाए"। इस न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिकाओं को "ऐसी स्वतंत्रता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना" वापस लेने की अनुमति दी। उच्च न्यायालय के समक्ष अड़चन के मुद्दे पर सभी उपलब्ध दलीलों को उठाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली समानताओं के लिए इसे खुला छोड़ते हुए, पीठ ने कहा किः

" हम स्पष्ट करते हैं कि हमने इस मामले पर विचार नहीं किया है।

गुण "।

17. 12 दिसंबर 2017 के आदेश से क्या पता चलता है

वहः

(i) अपीलार्थी को विशेष रूप से इस शिकायत पर कानून में उपलब्ध उपायों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता दी गई थी कि पकड़ का मुद्दा, हालांकि उठाया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था; और

((ii) इस न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार नहीं किया था।

अपीलार्थी को कानूनी रूप से एक उपयुक्त उपाय अपनाने की स्वतंत्रता का आरक्षण, शिकायत को आगे बढ़ाने के लिए जिसे प्रस्तुत करने का आग्रह पहले किया गया था।

उच्च न्यायालय पर विचार नहीं किया गया था, यह स्पष्ट रूप से समीक्षा के माध्यम से उपचार का संदर्भ होगा।

18. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि उच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह की गई किसी प्रस्तुति पर ध्यान नहीं दिया गया है या उस पर विचार नहीं किया गया है, तो वह [2019] 4 एस. सी. आर. के लिए है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय ने कहा कि पीड़ित वादी को अभिलेख के सुधार के लिए रुख करना चाहिए। लेकिन, इसके अलावा, 12 दिसंबर 2017 के आदेश में यह टिप्पणी कि इस न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार नहीं किया था, महत्वपूर्ण है। उस स्पष्टीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जो मुद्दे उठाए गए थे (किसी भी स्थिति में कैच अप नियम के संबंध में) वे पूरी तरह से खुले थे, जिनसे पहले उच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह किया जाना था और उसके बाद, यदि अपीलार्थी को व्यथित होना था, तो इस न्यायालय के समक्ष आगे की कार्यवाही में। इसका उपरोक्त अवलोकन

न्यायालय का उद्देश्य केवल उच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह करने के लिए कैच-अप नियम पर विचार न करने के मुद्दे को खुला रखना नहीं था। यह कि इस मुद्दे को खुला रखा गया था, 12 दिसंबर 2017 के आदेश के अंतिम भाग से स्पष्ट है जो विशेष रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकारों की दलीलों को खुला रखता है। इसके अलावा, इस न्यायालय के आदेश में सावधानीपूर्वक कहा गया है कि "हमने मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया है"।

उच्च न्यायालय की समीक्षा न्याय की घोर विफलता का कारण बनेगी। इस तरह के निर्माण से बचना चाहिए। 20. हम यहाँ मामले के एक महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देना चाहते हैं जो अपीलार्थी की ईमानदारी पर प्रतिबिंबित होता है। अपीलार्थी चला गया

22 नवंबर 2018 को प्रचुर मात्रा में एक विविध आवेदन

चेतावनी, दिनांक 12 दिसंबर 2017 के आदेश का स्पष्टीकरण मांगने के लिए। अपीलार्थी ने इस आशय का स्पष्टीकरण माँगा कि उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा याचिकाओं के निपटारे पर, यह इस न्यायालय के समक्ष समीक्षा के साथ-साथ मूल आदेश को चुनौती देने के लिए खुला होगा।

21. पिछली पीठ के सदस्यों में से एक, माननीय न्यायमूर्ति श्री कुरियन जोसेफ को 29 नवंबर 2018 को पद छोड़ना था। द.

विविध अनुप्रयोग की स्थापना 22 नवंबर 2018 को की गई थी। 28 नवंबर 2018 को, एक पीठ जिसमें माननीय न्यायमूर्ति श्री कुरियन जोसेफ सुधाकर बाबूराव नांगनूर बनाम शामिल थे।

नोरेश्वर रघुनाथराव शेंड [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

और हममें से एक (माननीय न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता) ने विविध आवेदन पर नोटिस जारी किया।

22. हम तदनुसार 12 दिसंबर 2017 के पहले के आदेश को स्पष्ट करते हुए निर्देश देते हैं कि यदि उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा में पारित आदेश और रिट याचिकाओं में मूल आदेश दोनों को चुनौती देने के लिए पारित किया जा सकता है, तो यह अपीलार्थी के लिए खुला होगा। हालांकि,

यह स्वतंत्रता पकड़ नियम के मुद्दे तक ही सीमित है। यह स्पष्टीकरण जारी करते हुए, हम महाराष्ट्र चैंबर ऑफ हाउसिंग में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के पहले के उदाहरण से भी निर्देशित हुए हैं

उद्योग बनाम ग्रेटर मुंबई नगर निगम 1 7. माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. ए. बोबडे और माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक भूषण की पीठ ने 16 अगस्त 2016 को एक आदेश पारित किया।

निम्नलिखित शर्तें -

" इन परिस्थितियों में, हम याचिकाकर्ता को अभियोग के लिए उचित आवेदन के साथ एक समीक्षा याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देते हैं। उच्च न्यायालय उठाए गए मुद्दों पर फैसला करेगा।
याचिकाकर्ता द्वारा नए सिरे से, जितनी जल्दी हो सके।

विशेष अनुमति याचिकाओं का तदनुसार निपटारा किया गया।

23. इसके बाद, 5 दिसंबर 2017 को, पहले के आदेश में संशोधन/वापस लेने के लिए एक आवेदन पर विचार करते हुए, दो न्यायाधीशों की पीठ जिसमें माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. ए. बोबडे और माननीय न्यायमूर्ति श्री एल.

नागेश्वर राव ने इस प्रकार कहाः

" मामले की परिस्थितियों और निर्माण गतिविधियों को प्रभावित करने वाले मामले के महत्व को ध्यान में रखते हुए

पूरे मुंबई शहर में, हम याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के समक्ष विवादित जनहित याचिका आदेश के साथ-साथ विवादित समीक्षा आदेश को चुनौती देने की स्पष्ट स्वतंत्रता देकर 2016 के एसएलपी (सी) Nos.24660 24661 में पारित अपने पहले के आदेश को संशोधित करना उचित समझते हैं।

हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं।
इसलिए, संशोधन/वापस बुलाने के लिए उपरोक्त आवेदनों को उपरोक्त शर्तों में निपटाया जाता है।

1 7 एस. एल. पी. (सी). 2016. 2016 का सी. सी. सं. 14855, दिनांक 16 अगस्त 2016। 2016 [2019] 4 एस. सी. आर. का 1 8 एस. एल. पी. (सी. सी.) सं. 14855।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रथम की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील

प्रत्यर्थी ने सुशील फाइनेंस एंड लीजिंग कंपनी बनाम एम लता 1 9 19 में इस न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया, जहां यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया थाः

" 1. ये विशेष अनुमति याचिकाएं समीक्षा याचिकाओं में पारित 12-12-2003 दिनांकित आदेश के खिलाफ हैं। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि मुख्य फैसले के खिलाफ, विशेष अनुमति याचिकाएं पहले दायर की गई थीं। हालाँकि, जब वे विशेष अनुमति याचिकाएँ सुनवाई तक पहुँचीं

1-9-2003 पर निम्नलिखित आदेश पारित किया गयाः

" कुछ समय तक बहस करने के बाद, याचिका दायर करने वालों के वकील ने राष्ट्रीय आयोग के आदेश की समीक्षा करने के लिए विशेष अनुमति याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति मांगी। अनुमति दी जाती है। तदनुसार, विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं।

जैसा कि वापस लिया गया है। ”

आदेश से यह स्पष्ट है कि मामले पर कुछ समय तक बहस हुई थी। यह स्पष्ट है कि न्यायालय याचिकाकर्ताओं के खिलाफ था। इस प्रकार, जैसा कि आजकल आम हो गया है, वकील ने वापसी के लिए आवेदन किया

इस आधार पर कि समीक्षा के लिए आवेदन किया जाएगा।

2. इसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा आवेदन दायर किए गए जिन्हें अब खारिज कर दिया गया है। इन विशेष अनुमति याचिकाओं द्वारा समीक्षा याचिकाओं को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई है। 3. शंकर मोतीराम नाले बनाम के मामले में। शिओलालसिंग गैनुसिंग राजपूत [(1994) 2 एस. सी. सी. 753] इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि समीक्षा के लिए आवेदन को अस्वीकार करने के आदेश के खिलाफ, एक विशेष अनुमति याचिका विचारणीय नहीं है। यह प्राधिकरण सीधे मुद्दे पर है "।

24. उपरोक्त मामले में, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं ने विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी थी।

कुछ समय के लिए, उस आदेश की समीक्षा करने के लिए जो विवादित था। अनुमति देते हुए, विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया गया क्योंकि वापस ले लिया। इसलिए यह स्पष्ट है कि इस बात का संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं था कि अदालत ने समीक्षा का निर्णय लेने के बाद मूल आदेश के खिलाफ इस अदालत में नए सिरे से जाने की अनुमति दी थी।

19 (2004) 13 एस. सी. सी. 675 सुधाकर बाबूराव नांगनूर बनाम। नोरेश्वर रघुनाथराव शेंड [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

25. अभिषेक मालवीय बनाम अतिरिक्त कल्याण

कमिश्नर 20, भोपाल गैस रिसाव आपदा से उत्पन्न मुआवजे के दावे से जुड़े मामले में अतिरिक्त कल्याण आयुक्त के आदेश के खिलाफ इस अदालत के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी। चुनौती का एक आधार यह था कि अतिरिक्त कल्याण आयुक्त ने अपीलार्थी को मृतक के रूप में संदर्भित किया था। इस न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया,

अपीलार्थी का यह निवेदन कि वह आदेश में सुधार के लिए अतिरिक्त कल्याण आयुक्त के पास जाना चाहता है। अतिरिक्त कल्याण आयुक्त द्वारा एक नया आदेश पारित करने के बाद, उच्च न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाही शुरू की गई। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश द्वारा, अपील में टंकण संबंधी त्रुटि को सुधारने के लिए केवल अतिरिक्त कल्याण आयुक्त को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता सुरक्षित थी। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि उसके पहले के आदेश में केवल एक टंकण संबंधी त्रुटि को सुधारने के लिए अतिरिक्त कल्याण आयुक्त को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता सुरक्षित थी।

26. विनोद कपूर बनाम गोवा राज्य '1 में, इस न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था, जिसमें दर्ज किया गया था कि

याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय के मूल आदेश के खिलाफ एक नई विशेष अनुमति याचिका दायर करने की कोई स्वतंत्रता नहीं ली गई थी। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

" चूंकि अपीलार्थी ने दिनांकित 29-1-2000 [विनोद कपूर बनाम] आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति वापस ले ली है। गोवा राज्य, 1999 का डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 253, उच्च न्यायालय का दिनांक 29-1-2000 (बी. ओ. एम.) का आदेश, समीक्षा के माध्यम से अपने उपचार को आगे बढ़ाने की अनुमति के साथ।

इसके बजाय और यदि उन्हें समीक्षा आवेदन में राहत नहीं मिली तो विशेष अवकाश के माध्यम से दिनांक 1 के आदेश को नए सिरे से चुनौती देने के लिए इस न्यायालय से स्वतंत्रता नहीं ली थी, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने के लिए विशेष अनुमति के माध्यम से उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के आदेश को चुनौती देने से रोक दिया गया है।

(" संध्या एजुकेशन सोसाइटी "), जहाँ इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक समीक्षा याचिका स्थापित करने की स्वतंत्रता के साथ एक विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने की अनुमति दी थी। नया दाखिल करने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। 20 (2008) 3 एससीसी 108

21 (2012) 12 एस. सी. सी. 378

22 (2014) 7 एससीसी 701 [2019] 4 एस. सी. आर.

इसके बाद विशेष अनुमति याचिका। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक बार विशेष अनुमति याचिका को उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका के उपचार को समाप्त करने के बाद एक नई विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए उचित अनुमति प्राप्त किए बिना वापस ले लिया जाता है, तो यह विचारणीय नहीं होगा। न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः

" 16. विनोद कपूर बनाम में यह न्यायालय। गोवा राज्य [(2012) 12 एससीसी 378: ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 3722], ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक बार विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिए जाने के बिना वापस ले लिया गया है।

पुनर्विलोकन याचिका का उपाय समाप्त होने के बाद एक बार फिर विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए उचित अनुमति प्राप्त करना।

उच्च न्यायालय के समक्ष, यह बनाए रखने योग्य नहीं है।

17. इस अपील में उठाया गया मुद्दा विनोद कपूरव मामले में इस अदालत द्वारा उठाए गए और विचार किए गए मुद्दे के समान है। गोवा राज्य [(2012) 12 एससीसी 378: ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 3722] इसलिए, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील की दलीलों को स्वीकार करते हुए, हम मानते हैं कि अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका विचारणीय नहीं है।

संध्या एजुकेशनल सोसाइटी (ऊपर) में बुसा ओवरसीज एंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में इस विचार को दोहराया गया था। इंडिया 23, जहाँ इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

" 30. विशेष अनुमति याचिका या उस मामले की अपील की स्थिरता से संबंधित निर्णयों को स्पष्ट रूप से समझना होगा। हालांकि शंकर मोतीराम नाले में निर्णय में [शंकर मोतीराम नाले बनाम। शिओलालसिंह गैनुसिंग राजपूत, (1994) 2 एस. सी. सी. 753] दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने सिविल संहिता के आदेश 47 नियम 7 का उल्लेख किया।

प्रक्रिया जो अदालत के आदेश के खिलाफ अपील को रोकती है समीक्षा को अस्वीकार करते हुए, यह नहीं समझा जाना चाहिए कि न्यायालय ने

के अनुच्छेद 136 के तहत पूर्ण अधिकार क्षेत्र में कटौती की गई

सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का सहारा लेकर संविधान। यह समझना होगा कि न्यायालय ने एक सिद्धांत विकसित किया है और तैयार किया है कि यदि मूल निर्णय पर हमला नहीं किया जाता है और चुनौती केवल समीक्षा में पारित आदेश के लिए है, तो यह न्यायालय ऐसी विशेष अनुमति याचिका पर विचार नहीं करने के लिए बाध्य है। उक्त सिद्धांत ने आधिकारिक दर्जा प्राप्त कर लिया है और दो दशकों से अधिक समय से इसे एक पूर्ववर्ती सिद्धांत के रूप में माना जा रहा है और हम हैं

यह सोचने के लिए तैयार है कि निर्देशित न होने की शायद ही कोई आवश्यकता है

उक्त पूर्ववर्ती द्वारा "।

23 (2016) 4 एस. सी. सी. 696 सुधाकर बाबूराव नांगनूर बनाम। नोरेश्वर रघुनाथराव शेंड [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

27. वर्तमान मामले में, हम उन कारणों से तथ्यों पर स्पष्ट अंतर पाते हैं जो हमने ऊपर बताए हैं। पूर्ववर्ती विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हुए अपीलार्थी को इस तर्क पर अपने उपायों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए कि उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए मुद्दे पर विचार नहीं किया गया था, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया कि उसने मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया था। इस तरह के स्पष्टीकरण के अभाव में, विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने से यह निष्कर्ष निकला होगा कि

अपीलार्थी को इस न्यायालय में नए सिरे से जाने की स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। दूसरी ओर, इस टिप्पणी का स्पष्ट उद्देश्य और इरादा कि यह न्यायालय

गुण-दोष के आधार पर इस मामले पर विचार नहीं किया था कि उच्च न्यायालय के समक्ष पहले और उसके बाद इस न्यायालय के समक्ष कैच-अप नियम के मुद्दे पर अपीलार्थी के सभी उपायों को खुला रखा जाए।

28. विविध आवेदनों पर जारी किए गए स्पष्टीकरण से हमने मामले को शांत कर दिया है। उपरोक्त कारणों से, हम प्रारंभिक आपत्ति में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

29. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री पी. एस. पटवालिया ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह कियाः

(i) अपीलार्थी फीडर में पहले प्रतिवादी से वरिष्ठ था।

डीडीटीपी का संवर्ग;

((ii) यह मानते हुए भी कि पहले प्रत्यर्थी की जे. डी. टी. पी. के रूप में पदोन्नति नियमित रूप से होती थी, अपीलार्थी अपनी पदोन्नति पर "पकड़ बनाएगा" और पहले की तुलना में अपनी वरिष्ठता फिर से हासिल करेगा।

प्रचार पोस्ट में उत्तरदाता;

(iii) महाराष्ट्र सरकार के 20 मार्च 2003 के परिपत्र को किसी उच्च पद पर पदोन्नति पर किसी आरक्षित उम्मीदवार को परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार मात्रात्मक तिथि का संग्रह नहीं किया गया है।

नागराज (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा;

(iii) जब 20 मार्च 2003 का परिपत्र जारी किया गया था,

राज्य सेवाओं में आरक्षण केवल प्रवेश स्तर तक ही था

प्रथम श्रेणी के पद, इस मामले में डी. डी. टी. पी.

(iv) प्रथम श्रेणी के पदों के लिए आरक्षण लाया गया था।

पहली बार आरक्षण अधिनियम 2004 द्वारा; [2019] 4 एस. सी. आर.

(v) आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 5 और 6 विशेष रूप से कुछ मौजूदा परिपत्रों को बचाती है और यह क्षेत्र पर कब्जा करती है। परिणामी वरिष्ठता पर परिपत्र सहित कोई अन्य परिपत्र सहेजा नहीं गया है। धारा 11 के तहत, अधिनियम के उल्लंघन में किया गया कुछ भी अमान्य है। (vi) 27 अक्टूबर 2008 का परिपत्र, जिसके आधार पर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित पद के खिलाफ 2 अगस्त 2011 को पहले प्रतिवादी को पदोन्नति दी गई थी, बॉम्बे उच्च न्यायालय 24 द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि यह आरक्षण अधिनियम 2004 के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। चूँकि पहले प्रत्यर्थी की पदोन्नति उस परिपत्र के आधार पर थी जो था

रद्द कर दिया गया, नियमों के विपरीत उनकी नियुक्ति उन्हें वरिष्ठता का हकदार नहीं बनाएगी; और

(vii) 20 मार्च 2003 के परिपत्र में परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने का प्रावधान है जहां एक आरक्षित उम्मीदवार को नियमित आधार पर पदोन्नत किया गया है। प्रथम प्रत्यर्थी की पदोन्नति तदर्थ होने के कारण उसे इसका अधिकार नहीं होगा

परिणामी वरिष्ठता।

30. दूसरी ओर, श्री वी. गिरि, विद्वान वरिष्ठ वकील उपस्थित हुए।

प्रथम उत्तरदाता के आधे ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह कियाः

(i) इस न्यायालय के समक्ष निर्णय का दायरा सीमित होना चाहिए।

केवल पकड़ के सिद्धांत की प्रयोज्यता के लिए;

((ii) जे. डी. टी. पी. के पद पर 11 अगस्त 2011 को प्रथम प्रत्यर्थी की पदोन्नति को अपीलार्थी द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी।

न्यायाधिकरण के समक्ष ओ. ए. और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती

इन कार्यवाहियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती दी गई;

(iii) पकड़ के सिद्धांत को लागू करने के लिए आवश्यक सहवर्ती यह है कि 11 अगस्त 2011 को पहले प्रतिवादी की पदोन्नति को वैध और नियमित माना जाना चाहिए; और ((iv) परिणामस्वरूप, अपीलार्थी का यह निवेदन कि पहले प्रतिवादी की जे. डी. टी. पी. के रूप में पदोन्नति तदर्थ, आकस्मिक या अनियमित थी, इस न्यायालय के समक्ष उत्तेजित नहीं किया जा सकता है।

31. पकड़ के सिद्धांत की प्रयोज्यता पर, श्री वी. गिरि ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का संपादन कियाः

3 (5) महाराष्ट्र लॉ जर्नल 640 सुधाकर बाबूराव नांगनूर बनाम।

नोर्शवार

गुनाथराव शेंडे [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

(i) महाराष्ट्र सिविल सेवा (वरिष्ठता विनियमन) नियम 1982-25 के नियम 4 में कहा गया है कि सरकार की वरिष्ठता

एक पद में सेवक आमतौर पर उनकी निरंतर सेवा की अवधि से निर्धारित होता है।

(ii) आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 5 (1) में कहा गया है कि आरक्षण पदोन्नति के सभी चरणों में होगा, जिससे

अनुच्छेद 16 (4 ए) के तहत संवैधानिक अधिकार का प्रभाव;

((iii) धारा 5 (2) उन सभी सरकारी आदेशों को बचाती है जो

पदोन्नति द्वारा पदों का आरक्षण;

(iv) इंद्र साहनी बनाम भारत संघ ("इंद्र साहनी") मामले में इस न्यायालय के फैसले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि परिणामी वरिष्ठता के सिद्धांत को किसी नियम या कार्यकारी आदेश में प्रतिपादित किया जा सकता है। नतीजतन, राज्य सरकार 20 मार्च को अपने जी. आर. में परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने में सक्षम थी

2003 ;

(v) 20 अक्टूबर 1997 के एक जी. आर. द्वारा, यह निर्धारित किया गया था कि एक पिछड़ा वर्ग अधिकारी पदोन्नति में वरिष्ठता बनाए रखेगा।

वरिष्ठता नियमों के अनुसार नियमित नियुक्ति की तारीख तक संवर्ग; और

(vi) 20 मार्च 2003 का जी. आर. 85 वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 (4 ए) के संशोधन के बाद जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से पिछड़े वर्गों/गैर-पिछड़े वर्गों के बीच वरिष्ठता को मान्यता दी गई थी।

पदोन्नत संवर्ग में सरकारी सेवा में उम्मीदवारों को उनकी पदोन्नति की नियमित तिथियों के आधार पर तय किया जाएगा।

32. उपरोक्त आधारों पर, यह आग्रह किया गया था कि

एच-अप लागू नहीं होगा। अंत में, यह आग्रह किया गया कि अपीलार्थी की वरिष्ठता को भी जे. डी. टी. पी. के संवर्ग में संरक्षित किया जाए।पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं है

निम्नलिखित कारणों से डी. टी. पी.:

(i) नगर योजना और मूल्यांकन निदेशालय का नियम 3

(भर्ती) नियम 2011 में निर्धारित किया गया है कि जे. डी. टी. पी. के पद पर आसीन अधिकारी को इस पद पर पदोन्नति के लिए पात्र माने जाने के लिए कम से कम तीन साल तक सेवा करनी चाहिए।

डीटीपी;

अधिकारिता नियम 1982

2 सप.

((ii) डी. टी. पी. के पद पर आसीन व्यक्ति की सेवानिवृत्ति के बाद,

30 अप्रैल 2016 को इस पद पर रिक्तियां पैदा हुईं।

(iii) जिस तारीख को डी. टी. पी. के पद में कोई रिक्ति हुई थी, अपीलार्थी ने जे. डी. टी. पी. के रूप में तीन साल के अनुभव की पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया था और सबसे वरिष्ठ पात्र अधिकारी होने के नाते पहला प्रतिवादी इस पद का हकदार और पात्र था।

और

(iv) वरिष्ठता और पात्रता अलग अवधारणाएँ हैं और यदि कोई वरिष्ठ है

के नियमों के तहत विचार के लिए अन्यथा पात्र नहीं

पदोन्नति, वरिष्ठता को एक योग्य कनिष्ठ को रास्ता देना होगा। पकड़ नियम, जिसे प्रस्तुत किया गया था, अपीलार्थी को डी. टी. पी. के पद के लिए पात्रता आवश्यकता को पूरा करने के लिए वास्तविक सेवा प्रदान नहीं करेगा। 30 अप्रैल 2016 को, अपीलार्थी ने जे. डी. टी. पी. के पद पर तीन साल की वास्तविक सेवा पूरी नहीं की।

डी. टी. पी. पद के लिए पात्र।

33. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ अब विचार के लिए आती हैं।

34. संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (1) में कहा गया है कि राज्य के तहत किसी भी पद पर नियुक्ति या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अभिव्यक्तिइस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ इरा साहनी (ऊपर) ने पदोन्नति के पदों में आरक्षण को बाहर करने के लिए 'आशय' की व्याख्या की थी।

अभिव्यक्ति 'नियुक्ति' का अर्थ प्रारंभिक के लिए किया गया था

एन. टी. एम. टी. और इसलिए प्रचार के रास्ते नहीं। इस निर्णय के बाद, संसद ने अपनी घटक क्षमता में अनुच्छेद 16 में संशोधन (सत्तर-सातवाँ) संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा किया।1995 में। सत्तर द्वारा प्रस्तुत अनुच्छेद 16 का खंड (4 ए)

नौवां संशोधन इस प्रकार है:

" 16. (4 क) इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में राज्य के तहत सेवाओं में किसी भी वर्ग या पदों के वर्गों में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगी, जो राज्य की राय में, राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

खंड (4 ए) के आधार पर, एक सक्षम प्रावधान पेश किया गया था जिसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद में निहित कुछ भी सुधाकर बाबूराव नांगनूर v को रोक नहीं पाएगा।

नोरेश्वर रघुनाथराव शेंड [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

राज्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राज्य के तहत सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण देने से, जो उसकी राय में, उसकी सेवा में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। 35. इस न्यायालय के समक्ष मामलों की एक पंक्ति ने अनुसूचित जाति के सदस्य को दी गई त्वरित पदोन्नति के प्रभाव पर विचार किया या

उच्च पद पर परिणामी वरिष्ठता के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति।

विशेष रूप से, परेशान करने वाला मुद्दा यह था कि क्या ऐसी जाति और जनजाति का कोई सदस्य जो फीडर कैडर में सामान्य या खुली श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ से पहले पदोन्नति प्राप्त करता है, उस वरिष्ठता को बनाए रखेगा जब बाद वाले को उच्च पद पर पदोन्नत किया जाएगा। 36. भारत संघ बनाम विरपाल सिंह चौहान 1 7 ("विरपाल सिंह चौहान") मामले में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि राज्य यह प्रावधान कर सकता है कि एक उम्मीदवार जिसे पहले आरक्षण के आधार पर और रोस्टर के आवेदन पर पदोन्नत किया गया था, वह फीडर श्रेणी में सामान्य श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ व्यक्ति पर वरिष्ठता का हकदार नहीं होगा। सामान्य श्रेणी से संबंधित एक वरिष्ठ, जिसे बाद में उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है, आरक्षित श्रेणी पर वरिष्ठता हासिल कर लेगा।

उम्मीदवार।

37. विरपाल सिंह चौहान (ऊपर) में निर्णय के परिणामस्वरूप 17 जून 1995 से संविधान (85 वां संशोधन) अधिनियम 2001 लागू हुआ। खंड (4 ए), जैसा कि संशोधित किया गया था, राज्य को पदोन्नति के मामलों में आरक्षण का प्रावधान करते हुए परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने में सक्षम बनाकर पहले के प्रावधान के दायरे का विस्तार किया। अनुच्छेद 16 का खंड (4 ए) अपने वर्तमान रूप में इस प्रकार हैः

" (4(क) इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को पदोन्नति के मामलों में आरक्षण का कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। किसी भी वर्ग या पदों के वर्गों के लिए परिणामी वरिष्ठता

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में राज्य के तहत सेवाएं, जो राज्य की राय में, राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं।

38. वह सिद्धांत जो विरपाल सिंह में प्रतिपादित किया गया है

चौहान (सुप्रा) को 'पकड़' नियम के रूप में जाना जाने लगा है। अजीत सिंह जानुजा बनाम पंजाब राज्य 28 ("अजीत सिंह प्रथम") में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने वीरपाल सिंह चौहान (ऊपर) में प्रस्तावित कैच-अप नियम को अपनाया। इस न्यायालय ने कहा कि संतुलन बनाए रखना होगा

27 (1995) 6 एस. सी. सी. 684

28 (1996) 2 एससीसी 715 [2019] 4 एस. सी. आर.

ताकि विपरीत भेदभाव से बचा जा सके और एक नियम या परिपत्र जो रोस्टर बिंदु के आधार पर पदोन्नत आरक्षित श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार को वरिष्ठता देता है, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करेगा। 39. जगदीश लाल बनाम हरियाणा राज्य ("जगदीश लाल") मामले में तीन अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने इसके विपरीत विचार व्यक्त किया कि -

निरंतर कार्यपालन के सिद्धांत के आधार पर, आरक्षित श्रेणी से संबंधित एक उम्मीदवार जिसे त्वरित पदोन्नति के कारण सामान्य उम्मीदवार से पहले पदोन्नत किया जाता है, वह उच्च संवर्ग में वरिष्ठता नहीं खोएगा। निर्णयों के इस टकराव को अजीत सिंह (द्वितीय) बनाम पंजाब राज्य ("अजीत सिंह द्वितीय") मामले में एक संविधान पीठ द्वारा हल किया गया था। संविधान पीठ ने विरपाल सिंह चौहान में निर्धारित सिद्धांत को बरकरार रखा।

(ऊपर) और अजीत सिंह प्रथम (ऊपर) और जगदीश लाल (ऊपर) में निर्णय को अस्वीकार कर दिया। इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः

" 77. इसलिए हमारा मानना है कि रोस्टर-पॉइंट पदोन्नत (आरक्षित श्रेणी) पदोन्नत श्रेणी में अपनी वरिष्ठता को नहीं गिन सकते हैं।

पदोन्नत पद पर उनके निरंतर कार्यपालन की तारीख से,

उन सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में जो निचली श्रेणी में उनसे वरिष्ठ थे और जिन्हें बाद में पदोन्नत किया गया था। दूसरी तरफ

जबकि, निचले स्तर पर वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार, यदि वह बाद में पदोन्नति स्तर तक पहुंचता है, लेकिन आरक्षित उम्मीदवार की आगे की पदोन्नति से पहले-उसे पदोन्नति स्तर पर, आरक्षित उम्मीदवार के लिए वरिष्ठ माना जाएगा, भले ही आरक्षित उम्मीदवार को पहले उस स्तर पर पदोन्नत किया गया हो। हम इसे बिंदु 3 के तहत और स्पष्ट करेंगे। हम यह भी मानते हैं कि विरपाल [(1995) 6 एससीसी 684: 1996 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 1: (1995) 31 एटीसी 813] और अजीत सिंह [(1996) 2 एससीसी 715: 1996 एससीसी (एल एंड एस) 540: (1996) 33 ATC 239] है

सही निर्णय लिया गया और कि जगदीश लाल [(1997) 6 एस. सी. सी. 538: 1997 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 1550] सही ढंग से तय नहीं किया गया है। अंक 1 और 2

तदनुसार निर्णय लिए जाते हैं।

40. संविधान के एक निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (4ए) और (4बी) की संवैधानिक वैधता पर विचार किया गया था।

नागराज (ऊपर) में इस न्यायालय की पीठ। नागराज (ऊपर) ने निर्धारित किया कि पकड़ नियम और परिणामी वरिष्ठता की अवधारणा अनिवार्य रूप से सेवा न्यायशास्त्र के नियम हैं। संविधान पीठ के विचार में उन्हें किसी घटक का दर्जा नहीं दिया जा सकता है -

29 (1997) 6 एस. सी. सी. 538

300 (1999) 7 एस. सी. सी. 209 सुधाकर बाबूराव नांगनूर बनाम। नोरेश्वर रघुनाथराव शेंड [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड, जे.]

नियंत्रण कारकों या बाध्यकारी कारणों को बनाए रखें, अर्थात्, पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता जो राज्यों को अनुच्छेद 335 '3 1 के तहत राज्य प्रशासन की समग्र दक्षता को ध्यान में रखते हुए आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाती है। नागराज (ऊपर) ने कहा कि राज्य को प्रत्येक मामले में आरक्षण प्रदान करने से पहले बाध्यकारी कारणों, अर्थात् (i) पिछड़ेपन; (ii) प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता; और (iii) समग्र प्रशासनिक दक्षता के अस्तित्व को प्रदर्शित करना चाहिए।

अनुच्छेद 16 के खंड (4 ए) और (4 बी) को सक्षम बनाने के लिए, नागराज (उपरोक्त) का मानना है कि यदि राज्य सक्षम प्रावधानों के तहत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहता है, तो उसे दर्शाते हुए मात्रात्मक डेटा एकत्र करना होगा।

वर्ग के पिछड़ेपन के साथ-साथ प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता अनुच्छेद 335 में सन्निहित दक्षता के मानदंड का पालन करने के अलावा सार्वजनिक रोजगार में वह वर्ग। न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

आरक्षण का प्रावधान करने से पहले प्रतिनिधित्व और समग्र प्रशासनिक दक्षता। जैसा कि ऊपर कहा गया है, विवादित प्रावधान एक सक्षम प्रावधान है। राज्य आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है पदोन्नति के मामलों में एससीएस/एसटी के लिए। हालाँकि, यदि वे अपने विवेक का प्रयोग करना चाहते हैं और ऐसा प्रावधान करना चाहते हैं, तो राज्य को वर्ग के पिछड़ेपन को दर्शाने वाले मात्रात्मक डेटा एकत्र करना होगा।

और सार्वजनिक रूप से उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता

अनुच्छेद 335 के अनुपालन के अलावा रोजगार। यह स्पष्ट किया जाता है कि भले ही राज्य के पास सम्मोहक कारण हों, जैसा कि ऊपर बताया गया है, राज्य को यह देखना होगा कि उसका आरक्षण प्रावधान ऐसा नहीं है।

इससे 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा का उल्लंघन होता है या मलाईदार परत समाप्त हो जाती है या आरक्षण अनिश्चित काल के लिए बढ़ जाता है।

31 नागराज पृष्ठ 278 [2019] 4 एस. सी. आर. पर।

42. जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता 3 2 ("जरनैल सिंह") मामले में इस अदालत की संविधान पीठ के हालिया फैसले में नागराज ने कहा, (उपर्युक्त) का पालन किया गया है सिवाय उस उक्ति के जिसमें राज्य को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण देने में सक्षम करने की शक्ति के प्रयोग के लिए एक शर्त के रूप में पिछड़ेपन का प्रदर्शन करने की आवश्यकता होती है। नागराज (ऊपर) में फैसले के इस हिस्से को इंद्र साहनी (ऊपर) में नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के साथ असंगत माना गया है। जरनैल सिंह (ऊपर) मामले में न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

" .....इसलिए यह स्पष्ट है कि नागराज (उपरोक्त) ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन को दर्शाने वाले मात्रात्मक आंकड़े एकत्र करने होंगे। हमें डर है कि फैसले का यह हिस्सा सीधे विपरीत है।

इंद्र साहनी (1) (ऊपर) में नौ-न्यायाधीश पीठ के लिए। जीवन रेड्डी, जे. ने अपने और तीन अन्य विद्वान न्यायाधीशों के लिए बोलते हुए स्पष्ट रूप से कहा था, "वह सामाजिक और शैक्षिक योग्यता की परीक्षा या आवश्यकता का परीक्षण करता है।

पिछड़ेपन को अनुसूचित जातियों पर लागू नहीं किया जा सकता है और

अनुसूचित जनजाति, जो निर्विवाद रूप से अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती हैं

" नागरिकों का पिछड़ा वर्ग "। संविधान पीठ की ओर से न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन ने कहा कि

इस प्रकारः

“ .....इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जब नागराज (ऊपर) ने राज्यों से पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता की है, जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का संबंध है, तो यह स्पष्ट रूप से इंद्र साहनी (1) (ऊपर) के विपरीत होगा और इसे करना होगा

इस आधार पर खराब घोषित किया जाए।

43. नागराज (ऊपर) में निर्णय का इस न्यायालय के बाद के कई फैसलों में पालन किया गया हैः (i) सूरज भान मीणा बनाम राज्य

राजस्थान 3 3 33 (सूरज भान मीणा); (ii) उत्तर प्रदेश पावर निगम लिमिटेड बनाम राजेश कुमार 3 4 ("उत्तर प्रदेश विद्युत निगम"); (3) एस. पन्नीर सेल्वम बनाम तमिलनाडु राज्य 3 ("पन्नीर सेल्वम"); और (4) बी. के. पवित्रा बनाम भारत संघ 3,6 ("बी. के. पवित्रा")।

32 (2018) 10 एस. सी. सी. 396 33 (2011) 1 एस. सी. सी. 467 34 (2012) 7 एस. सी. सी. 1 35 (2015) 10 एस. सी. सी. 292 36 (2017) 4 एस. सी. सी. 620 सुधाकर बाबूराव नांगनूर बनाम।

नोर्शवार

हूनाथराव शेंडे [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड, जे.]44. सूरज भान मीणा (ऊपर) में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष उपहास के लिए उठा प्रश्न तैयार किया गया था।

" 49. इन पाँच विशेष अनुमति याचिकाओं में हमें जिस प्राथमिक प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा गया है, वह यह है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 16 (4-ए) के संशोधित प्रावधानों का उद्देश्य यह था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित लोग,

आरक्षित कोटे के खिलाफ पदोन्नत किया गया था, ऐसी पदोन्नति के कारण परिणामी वरिष्ठता का भी हकदार होगा, या "पकड़ें" नियम प्रबल है।

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः " 66. एम. नागराज मामले में निर्णय के बाद की स्थिति [(2006) 8 एससीसी 212: (2007) 1 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 1013] यह है कि पदोन्नति में पदों का आरक्षण प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर निर्भर है

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य और पिछड़े वर्ग और यह सुनिश्चित करने की शर्त के अधीन कि क्या इस तरह के आरक्षण की आवश्यकता थी।

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि कोई अभ्यास नहीं किया गया था

राजस्थान सरकार ने राज्य में सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की अपर्याप्त प्रस्तुति के संबंध में मात्रात्मक डेटा प्राप्त करने के लिए, उच्च न्यायालय ने परिणामी वरिष्ठता और पदोन्नति के लिए अधिसूचनाओं को रद्द करने में उचित ठहराया।

45. पन्नीर सेल्वम (ऊपर) में दो न्यायाधीशों के समक्ष मुद्दा

इस न्यायालय का एच इस प्रकार थाः

" 1.1 . (i) राज्य द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय/भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (4-ए) के सक्षम प्रावधान के अनुसार बनाए गए नियमों के अभाव में, क्या एक आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार जो फीडर श्रेणी में अपने वरिष्ठ सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से पहले आरक्षण के आधार पर पदोन्नत किया गया है, पदोन्नति के पद पर परिणामी वरिष्ठता का दावा कर सकता है?

तमिलनाडु राजमार्गों के लिए उप-नियमों का नियम 12 और

निकट सेवा निम्नलिखित रूप में प्रदान की जाती हैः

" 12. नियुक्ति का आरक्षण। आरक्षण का नियम

नियुक्तियाँ (सामान्य नियम 22) [2019] 4 एस. सी. आर. की नियुक्ति पर लागू होंगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा सहायक मंडल अभियंता और

स्थानांतरण द्वारा अलग से भर्ती और सहायक की नियुक्ति

इंजीनियरों की सीधी भर्ती "।

नियम 12 के तहत, आरक्षित श्रेणी के सहायक और कनिष्ठ अभियंताओं ने पहले सहायक मंडल अभियंता के रूप में पदोन्नति प्राप्त की थी। आरक्षण के नियम का पालन करते हुए त्वरित पदोन्नति के परिणामस्वरूप सामान्य श्रेणी से संबंधित उनके समकक्ष।

46. न्यायमूर्ति आर भानुमति ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि नियम 12 उम्मीदवारों को परिणामी वरिष्ठता प्रदान नहीं करता है

आरक्षित श्रेणी से लिए गए जिन्हें त्वरित पदोन्नति दी जाती है और एक विशिष्ट प्रावधान या नीति के अभाव में, परिणामी वरिष्ठता प्रदान नहीं की जा सकती हैः

ऐसे आरक्षित श्रेणी पदोन्नति केवल तभी तय की जा सकती है जब राज्य के नियमों में ऐसे आरक्षित श्रेणी पदोन्नति के लिए स्पष्ट प्रावधान हो। परिणामी वरिष्ठता के लिए राज्य सरकार द्वारा लिए गए किसी विशिष्ट प्रावधान या नीतिगत निर्णय के अभाव में आरक्षित श्रेणी त्वरित पदोन्नति के लिए, संविधान के अनुच्छेद 16 (4-ए) के स्वतः लागू होने का कोई सवाल ही नहीं है।

न्यायालय ने नोट किया कि सामान्य श्रेणी से संबंधित अपीलकर्ता इस नियम का पालन करते हुए आरक्षित श्रेणी से अपने समकक्षों को दी गई त्वरित पदोन्नति पर सवाल नहीं उठा रहे थे -

आरक्षण लेकिन केवल पदोन्नति संवर्ग में वरिष्ठता के निर्धारण में कैच-अप नियम के अनुप्रयोग की मांग कर रहे थे। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नियमों में परिणामी वरिष्ठता के किसी भी प्रावधान के अभाव में, पकड़ नियम प्रबल होगाः

" 36. नियमों में परिणामी वरिष्ठता के लिए किसी भी प्रावधान के अभाव में, "कैच-अप नियम" लागू होगा और रोस्टर पॉइंट आरक्षित श्रेणी के पदोन्नत उम्मीदवार अपनी पदोन्नति की तारीख से पदोन्नत श्रेणी में अपनी वरिष्ठता की गणना नहीं कर सकते हैं और वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार यदि बाद में पदोन्नति के स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो सुधाकर बाबूराव नांगनूर बनाम।

नोर्शवार

हूनाथराव शेंडे [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

सामान्य उम्मीदवार अपनी वरिष्ठता फिर से हासिल करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि खंड पीठ ने इस अनुच्छेद को गलत आधार पर आगे बढ़ाया है। 16 (4 - भारत के संविधान का ए) स्वतः ही रोस्टर-पॉइंट पदोन्नति के लिए त्वरित पदोन्नति के अलावा परिणामी वरिष्ठता प्रदान करता है और डिवीजन बेंच के फैसले को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

47. पन्नीर सेल्वम (ऊपर) में निर्णय तब से बी. के. पवित्रा (ऊपर) में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा तय किया गया है।

सी. ई. ए. के. गोयल ने पीठ की ओर से बोलते हुए इस प्रकार कहाः

" 29. एस. पन्नीर सेल्वम मामले में उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है [एस. पन्नीर सेल्वम बनाम। टी. एन. राज्य, (2015) 10 एस. सी. सी. 292:

(2016) 1 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 76] जो निर्धारण के लिए अभ्यास करता है

" प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता "," पिछड़ेपन "और" समग्रता "

अनुच्छेद 16 (4ए) के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए दक्षता आवश्यक है। केवल यह तथ्य कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के लिए पदोन्नति पदों में कोई आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं है, अपने आप में उन पदोन्नतियों को परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है जो अन्यथा कनिष्ठ हैं और इस तरह उन लोगों को वरिष्ठता से वंचित कर रहे हैं जिन्हें बाद में आरक्षण नीति के कारण पदोन्नति दी जाती है। यह राज्य को रिकॉर्ड पर सामग्री रखना है कि इस तरह की शक्ति के प्रयोग की अनिवार्य आवश्यकता थी और राज्य का निर्णय इस अध्ययन सहित सामग्री पर आधारित था कि समग्र दक्षता से समझौता नहीं किया जाता है। वर्तमान मामले में ऐसी कोई कवायद नहीं की गई है। उच्च न्यायालय ने गलती से कहा कि यह याचिकाकर्ताओं को निवेदन करना और यह साबित करना था कि आरक्षण के कारण पदोन्नति पाने वाले कनिष्ठ व्यक्तियों को परिणामी वरिष्ठता देने से समग्र दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। याचिका कि एक ही समय में पदोन्नत व्यक्तियों को अपने पद पर बने रहने की अनुमति दी गई थी

एक मौलिक अधिकार नहीं था जिसमें किसी भी योग्यता के बिना समान रूप से है वर्तमान संदर्भ। अनुच्छेद 16 (4-ए) के तहत अभ्यास के अभाव में, यह "पकड़" नियम है जो पूरी तरह से लागू होता है। जाने की जरूरत नहीं है

इस सवाल पर कि क्या संबंधित निगम ने इसे अपनाया था

परिणामी वरिष्ठता का नियम। "[2019] 4 एस. सी. आर.

48. महाराष्ट्र सिविल सेवा का नियम 4 (वरिष्ठता का विनियमन)

नियम 1982 वरिष्ठता के सामान्य सिद्धांतों को निर्धारित करता है। नियम 4 (1) का मूल भाग इस प्रकार हैः

" 4. वरिष्ठता के सामान्य सिद्धांतः

(1) इन नियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन, किसी भी पद, संवर्ग या सेवा में किसी सरकारी कर्मचारी की वरिष्ठता आमतौर पर उसमें उसकी निरंतर सेवा की अवधि पर निर्धारित की जाएगी। " "

नियम 4 (1) का दूसरा प्रावधान इस प्रकार हैः

" बशर्ते कि आकस्मिक नियुक्ति के परिणामस्वरूप उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा, यदि कोई हो (उस मामले को छोड़कर जिसमें सक्षम प्राधिकारी यह प्रमाणित करता है कि, प्रासंगिक भर्ती नियमों में निर्धारित भर्ती के अनुपात के अनुसार सख्ती से नियमित नियुक्ति करना समीचीन/संभव या व्यावहारिक नहीं था, उसके लिए दर्ज किए गए संक्षिप्त कारणों के साथ), सेवा की अवधि की गणना करने में बाहर रखा जाएगा और वरिष्ठता के उद्देश्य से उसे उस पद पर या संवर्ग या सेवा में उस तारीख को नियुक्त किया गया माना जाएगा जिस दिन उसकी नियमित नियुक्ति की जाती है। संबंधित भर्ती के प्रावधानों के अनुसार किया गया

नियम "।

49. 20 अक्टूबर 1997 को एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि पिछड़े वर्ग से संबंधित एक अधिकारी अपने पद पर बना रहेगा।

पदोन्नति संवर्ग में वरिष्ठता और वरिष्ठता को संशोधित करना आवश्यक नहीं है। जी. आर. ने विरपाल सिंह चौहान (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले और केंद्र सरकार के 30 जनवरी 1997 के एक परिपत्र के बाद सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों की वरिष्ठता को विनियमित करने के लिए 19 अप्रैल 1997 को जारी किए गए आदेशों का उल्लेख किया है। जी. आर. जगदीश लाल (ऊपर) के फैसले पर आधारित है और इस प्रकार प्रदान करता हैः

" 2 [ए] यदि किसी पिछड़े वर्ग के कर्मचारी/अधिकारी को पहले से ही पदोन्नति संवर्ग में पदोन्नत किया गया है, तो उक्त संवर्ग में उनकी वरिष्ठता को संशोधित करना आवश्यक नहीं है। इसी तरह, 30.1.1997 पर मौजूद वरिष्ठता सूचियों को संशोधित करना आवश्यक नहीं है।

50. 20 मार्च 2003 को, ऊपर उल्लिखित पहले के जी. आर. के संदर्भ में एक और जी. आर. जारी किया गया था। जी. आर. में कहा गया है कि खंड (4 ए) को शामिल करके अनुच्छेद 16 में संशोधन के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि सुधाकर बाबूराव नांगनूर v से संबंधित अधिकारियों की वरिष्ठता को विनियमित करने के निर्देश।

नोर्शवार

गुनाथराव शेंडे [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

पदोन्नत संवर्ग में पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग 21 जून के पूर्ववर्ती सरकारी प्रस्तावों द्वारा शासित होंगे।

2 और 20 अक्टूबर 1997। जी. आर. ने स्पष्ट किया कि सरकार में वार्ड वर्ग और गैर-पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के बीच वरिष्ठता

प्रचार संवर्ग में बर्फ को नियमित तिथि द्वारा नियंत्रित किया जाएगा

प्रेम प्रसंगः

" 3. संघ द्वारा किए गए उक्त संशोधन पर विचार करते हुए भारत सरकार के संविधान और तदनुसार 21.1.2002 पर जारी आदेशों के अनुसार, राज्य सरकार ने अब निर्णय लिया है कि पिछड़े वर्गों/गैर-पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों/अधिकारियों के बीच वरिष्ठता को विनियमित करने के लिए जारी किए गए निर्देश

पदोन्नत संवर्ग में सरकारी सेवा में कक्षाएं 21 जून 1982 के परिपत्र और इसमें निर्धारित निर्देशों के अनुसार दिनांकित 20.10.1997 आदेश लागू रहेंगे। इसलिए, पिछड़े वर्गों/गैर-पिछड़े वर्गों के बीच वरिष्ठता

पदोन्नत संवर्ग में सरकारी सेवा में उम्मीदवारों को पिछड़े वर्ग की चयन सूची में उनके क्रम के अनुसार उन्हें दी गई पदोन्नति की उनकी संबंधित नियमित तिथि के आधार पर तय किया जाएगा।

वर्ग और गैर-पिछड़े उम्मीदवार "। 51. प्रस्तुतिकरण जिसका प्रथम की ओर से आग्रह किया गया है

एक बात यह हैः

(i) 20 मार्च 2003 का जी. आर. निम्नलिखित के अनुसार जारी किया गया है -

85 वां संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा अनुच्छेद 16 के खंड (4 ए) में "परिणामी वरिष्ठता के साथ" शब्द जोड़े गए थे;

((ii) इंद्र सोन्हे (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय में कहा गया है कि पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण दिया जा सकता है।

एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से भी प्रदान किया जाएगा;

(iii) आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 5 (1) में कहा गया है कि पदोन्नति में आरक्षण पदोन्नति के सभी चरणों में होगा।

ऐसा करने से अनुच्छेद 16 (4 ए) प्रभावी होता है; और

(iv) आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 5 (2) उन सभी सरकारी आदेशों को बचाती है जो पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले किसी भी पद के लिए आरक्षण प्रदान करते हैं। नतीजतन यह आग्रह किया जाता है कि सभी पूर्व सरकारी आदेशों को अधिनियम के बाद स्पष्ट रूप से सहेजा गया है।

आरक्षण अधिनियम 2004।

19] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

52. 20 मार्च 2003 का जी. आर. जारी किया गया था।

अनुच्छेद 16 (4 ए) में संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा परिणामी वरिष्ठता को उस प्रावधान में शामिल किया गया था। इस अदालत का फैसला

इंद्र साहनी (ऊपर) में वास्तव में विचार किया गया है कि के लिए एक प्रावधान आरक्षण एक विधायी अधिनियम या नियमों और एक कार्यकारी आदेश द्वारा भी किया जा सकता है। न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी के निर्णय ने निर्णय के लिए अन्य मुद्दों के साथ निम्नलिखित को भी तैयार कियाः

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या ऐसा प्रावधान करने वाला कार्यकारी आदेश इसके बिना लागू किया जा सकता है। इसे अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियम में शामिल करना?

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए निर्णय में कहा गया हैः " (1) (क) यह आवश्यक नहीं है कि अनुच्छेद 16 (4) के तहत प्रावधान अनिवार्य रूप से संसद/विधानमंडल द्वारा किया जाना चाहिए। इस तरह

कार्यपालिका द्वारा भी एक प्रावधान किया जा सकता है। स्थानीय निकाय,

(ख) अनुच्छेद 16 (4) के तहत प्रावधान करने वाला एक कार्यकारी आदेश उस समय लागू किया जा सकता है जब इसे बनाया और जारी किया जाता है। (पारस 738-740) " [इस संदर्भ में गौरव प्रधान बनाम राज्य को भी देखें।

राजस्थान 3 7.]

और इसे 22 जनवरी 2004 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। यह अधिनियम 85 वें संविधान संशोधन के बाद लागू हुआ है। अधिनियम के प्रवर्तन से पहले, आरक्षण तक सीमित थे समूह I पदों में प्रवेश स्तर, यह सुनवाई के दौरान सामान्य आधार है। कानून के अधिनियमन के परिणामस्वरूप, सार्वजनिक सेवाओं और पदों में सभी नियुक्तियों पर आरक्षण लागू होता है [सिवाय इसके कि

धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ए) से खंड (डी) के अंतर्गत आने वाली श्रेणियां।

37 (2018) 11 एस. सी. सी. 352 सुधाकर बाबूराव नांगनूर बनाम। नोर्शवार

हूनाथराव शेंडे [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड, जे.]

54. धारा 3 अधिनियम और धारा 4 की प्रयोज्यता से संबंधित है।

आरक्षण और प्रतिशत के साथः

" धारा 3-प्रयोज्यता (1) यह अधिनियम लोक सेवाओं में की गई सभी नियुक्तियों पर लागू होगा।

और पदों को छोड़कर, (क) चिकित्सा, तकनीकी और तकनीकी में अति विशिष्ट पद

शैक्षिक क्षेत्र; (ख) स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले पद;

अवधि; और (घ) वे पद जो किसी भी संवर्ग या श्रेणी में एकल (पृथक) हैं।

धारा 4 की धारा (1) और (2) इस प्रकार हैः

" धारा 4-आरक्षण और प्रतिशत (1) जब तक इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत अन्यथा प्रावधान नहीं किया गया है, पद

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित, डी-अधिसूचित

जनजातियाँ (विमुक्त जातियाँ), खानाबदोश जनजातियाँ, विशेष पिछड़े

श्रेणी और अन्य पिछड़े वर्गों को इसके द्वारा नहीं भरा जाएगा

उम्मीदवार जो उस जाति, जनजाति, श्रेणी या वर्ग से संबंधित नहीं हैं

जिनके लिए पद आरक्षित हैं।

अनुसूचित जनजाति, अधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजातियाँ, विशेष पिछड़े वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग,

लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के स्तर पर धारा 2 के खंड (जे) के तहत निर्दिष्ट, जैसा कि नीचे दिया गया हैः

रिक्तियों का प्रतिशत या

इसका वर्णन

जाति/जनजाति/श्रेणी/वर्ग

सीटें होंगी आरक्षित

(1) अनुसूचित जातियाँ

13 प्रति प्रतिशत

7 प्रति प्रतिशत

(2) अनुसूचित जनजातियाँ

3 प्रति प्रतिशत

(3) डी-अधिसूचित जनजाति (ए)

(4) खानाबदोश जनजातियाँ (बी)

2.5 प्रति प्रतिशत

3.5 प्रति प्रतिशत

(5) खानाबदोश जनजातियाँ (सी)

2 प्रति प्रतिशत

(6) खानाबदोश जनजातियाँ (डी)

2 प्रति प्रतिशत

(7) विशेष पिछड़ा वर्ग

(8) अन्य पिछड़े वर्ग

19 प्रति प्रतिशत

कुल

धारा 4 की धारा (3) इस प्रकार प्रदान करती हैः

" (3) उप-धारा (2) के तहत तालिका में क्रम संख्या (3) से (6) (दोनों सहित) में उल्लिखित श्रेणियों के लिए निर्दिष्ट आरक्षण अंतर-हस्तांतरणीय होगा। यदि उक्त श्रेणियों में से किसी के लिए आरक्षित पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवार उसी भर्ती वर्ष में उपलब्ध नहीं हैं, तो पदों को नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा।

उक्त अन्य श्रेणियों में से किसी से भी उपयुक्त उम्मीदवार।

55. धारा 5 और 6 इस प्रकार प्रदान करते हैंः

" धारा 5-पदोन्नति में आरक्षण

(1) पदोन्नति में आरक्षण पदोन्नति के सभी चरणों में होगा। (2) इस अधिनियम के लागू होने की तारीख को, यदि कोई सरकार

द्वारा भरे जाने वाले किसी भी पद के लिए आरक्षण प्रदान करने के आदेश

पदोन्नति, लागू हैं, वही लागू रहेंगे

जब तक सरकार द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता है।

धारा 6-आरक्षित रिक्तियों को आगे बढ़ाना

(1) यदि किसी भर्ती वर्ष के संबंध में, धारा 4 की उप-धारा (2) के तहत किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों के लिए कोई रिक्ति आरक्षित है।

इस तरह की रिक्ति को सीधी भर्ती के मामले में पांच साल और पदोन्नति के मामले में तीन साल तक आगे बढ़ाया जाएगाः

बशर्ते कि, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को, यदि कोई सरकार पदों को भरने के संबंध में आदेश देती है, तो

पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की उपलब्धता लागू है, जैसे

सरकारी आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक कि सरकार द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किए जाते।

धारा 11 इस प्रकार प्रदान करती हैः

" धारा 11-अनियमित नियुक्तियों से संरक्षण शून्य हो जाता है सद्भावना से की गई कार्रवाई

इसके प्रावधानों के उल्लंघन में की गई कोई भी नियुक्ति

अधिनियम अमान्य होगा।

56. धारा 5 की उप-धारा (1) में कहा गया है कि अन्य में आरक्षण पदोन्नति के सभी चरणों में होगा। नतीजतन, पदोन्नति

प्रथम श्रेणी के पद भी आरक्षण के नियम द्वारा शासित होते हैं।

58. दूसरी ओर, श्री गिरि ने इस निवेदन को यह आग्रह करते हुए पूरा किया है कि आरक्षण अधिनियम 2004 परिणामी मुद्दों से नहीं निपटता है। वरिष्ठता। अतः 20 मार्च 2003 का जी. आर. लागू होता रहेगा। यह आग्रह किया गया कि यद्यपि 20 मार्च 2003 का जी. आर. एक कार्यकारी आदेश है, यह परिणामी वरिष्ठता के सिद्धांत को प्रभावी बनाने का एक वैध या सक्षम तरीका है जैसा कि इंद्र साहनी (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा मान्यता प्राप्त है।

59. हम पहले ही इंदिरा साहनी (उपरोक्त) में इस निर्णय पर ध्यान दे चुके हैं कि आरक्षण के लिए एक प्रावधान शामिल किया जा सकता है।

अधिनियम का अधिनियमन। इसी तरह, धारा 6 की उप-धारा (1) का परंतुक अधूरे पदों को भरने के संबंध में सरकारी आदेशों को बचाता है। अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को लागू पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित। 20 मार्च 2003 का जी. आर. वरिष्ठता के निर्धारण से संबंधित है जबकि धारा 5 की उप-धारा (2) आरक्षण प्रदान करने वाले आदेशों से संबंधित है। 20 मार्च 2003 का जी. आर. निस्संदेह एक सरकारी आदेश नहीं है जो धारा 5 की उप-धारा (2) या [2019] 4 एस. सी. आर. की उप-धारा (1) के प्रावधान के दायरे में आता है।

धारा 6. हालांकि, राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियम के अधिनियमन को सरकार में शामिल परिणामी वरिष्ठता के सिद्धांत को ओवरराइड या निरस्त करने के विधायी इरादे के रूप में नहीं माना जा सकता है। संकल्प लें। संविधान के अनुच्छेद 162 के प्रावधानों के अनुसरण में जारी किए गए कार्यकारी आदेश में परिणामी वरिष्ठता का प्रावधान निश्चित रूप से शामिल किया जा सकता है। 38

60. 20 मार्च 2003 के सरकारी प्रस्ताव में ऐसा नहीं किया गया है

आरक्षण अधिनियम 2004 के अधिनियमन पर निरस्त कर दिया गया। आरक्षण अधिनियम 2004 परिणामी के सिद्धांत से संबंधित नहीं है।

वरिष्ठता। अधिनियम को परिणामी वरिष्ठता पर लागू सरकारी आदेशों का स्थान लेने के रूप में पढ़ना अस्वीकार्य होगा, इस तरह के प्रभाव के लिए स्पष्ट शब्दों के अभाव में।

61. एक और प्रस्तुति जिसका अपीलार्थी की ओर से आग्रह किया गया था

यह है कि जब तक आरक्षण अधिनियम 2004 लागू नहीं किया गया था, तब तक प्रथम श्रेणी के पदों के भीतर पदोन्नति में आरक्षण उपलब्ध नहीं था। श्री पटवालिया ने आग्रह किया कि जब 20 मार्च 2003 को जी. आर. जारी किया गया था, तब कक्षा 1 के पदों के भीतर कोई आरक्षण नहीं था और इसके परिणामस्वरूप,

वरिष्ठता को इसके आवेदन में कक्षा 1 के पदों के अलावा अन्य पदों तक सीमित रखने की आवश्यकता है।

62. यह फिर से, न्यायालय से 20 मार्च 2003 के जी. आर. को प्रतिबंधात्मक तरीके से पढ़ने का आग्रह करने का प्रयास है।

आरक्षण अधिनियम 2004। 20 मार्च 2003 का जी. आर. परिणामी वरिष्ठता के सिद्धांत को शामिल करते हुए 20 अक्टूबर के जी. आर. को दोहराता है।

1997. यह वरिष्ठता नियम 1982 का भी विज्ञापन करता है जिसमें से नियम 4 विशेष रूप से निर्धारित करता है कि निरंतर सेवा की अवधि सेवा में पदों और संवर्गों के संबंध में वरिष्ठता का निर्धारण करेगी। अपीलार्थी के प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करने से एक विसंगतिपूर्ण स्थिति पैदा होगी जहाँ परिणामी वरिष्ठता को कक्षा 1 से नीचे के पदों पर लागू किया जाएगा, और पकड़ नियम कक्षा 1 के पदों पर लागू होगा। विशेष रूप से 20 मार्च 2003 के जी. आर. और 1982 के वरिष्ठता नियमों को चुनौती दिए जाने के अभाव में, एक ऐसी व्याख्या जो इस विसंगति का कारण बनती है, को छोड़ दिया जाना चाहिए।

38 " 162. इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार उन मामलों तक होगा जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति हैः

बशर्ते कि किसी ऐसे मामले में जिसके संबंध में किसी राज्य का विधानमंडल और संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है, राज्य की कार्यकारी शक्ति इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा संघ या उसके प्राधिकरणों को स्पष्ट रूप से प्रदत्त कार्यकारी शक्ति के अधीन और उसके द्वारा सीमित होगी। सुधाकर बाबूराव नांगनूर बनाम।

नोरेश्वर रघुनाथराव शेंड [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

63. अपीलार्थी ने श्री पटवालिया की दलीलों के दौरान यह आग्रह करने की मांग की है कि 20 मार्च 2003 का जी. आर. नागराज मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के अनुपात के विपरीत है।

(ऊपर)। यह आग्रह किया गया कि परिणामी वरिष्ठता के लिए एक प्रावधान को शामिल करने से पहले, राज्य को मात्रात्मक संग्रह करने का अधिकार है (i) प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता; और (ii) प्रशासन की दक्षता पर प्रभाव के संदर्भ में डेटा। श्री पटवालिया ने आग्रह किया कि मात्रात्मक आंकड़ों के अभाव में, 20 मार्च 2003 का जी. आर. अधिकार से बाहर है। इस संदर्भ में, यह आग्रह किया गया था कि राज्य द्वारा अभ्यास के अभाव में

मात्रात्मक डेटा एकत्र करें, इस न्यायालय द्वारा नागराज (ऊपर) में प्रतिपादित सिद्धांत और जैसा कि सूरज भान मीना (ऊपर), यूपी पावर कॉर्पोरेशन (ऊपर), पन्नीर में इस न्यायालय के बाद के फैसलों द्वारा लागू किया गया है।

सेल्वम (सुप्रा) और बी. के. पी. मित्रा (सुप्रा) आकर्षित होंगे।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण। हमने इस फैसले के पहले भाग में दावा की गई राहतों को स्वीकार किया है और वे केवल वरिष्ठता के लिए एक चुनौती का संकेत हैं। न्यायाधिकरण के समक्ष किसी विशिष्ट चुनौती को संबोधित किए बिना परिणामी वरिष्ठता के सिद्धांत को शामिल करने वाले सरकारी प्रस्ताव की वैधता को चुनौती देना अस्वीकार्य होगा। इस स्तर पर इस तरह की चुनौती का मनोरंजन करने से पूरे महाराष्ट्र राज्य में गंभीर परिणाम होंगे, जिससे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को पहले ही दी गई बड़ी संख्या में पदोन्नति को नुकसान होगा। राज्य सरकार, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के समक्ष दलीलों में पहली बार के मंच में एक चुनौती के अभाव में परिणामी वरिष्ठता को अपनाने के अपने निर्णय के आधार को सही ठहराने के लिए नहीं कहा गया था।

65. परिणामी प्रावधान करने वाले संकल्प के लिए एक चुनौती

वरिष्ठता वास्तव में एक गंभीर मामला है। इस तरह की चुनौती अदालत से एक नीतिगत परिपत्र को रद्द करने का आह्वान करती है जो स्वीकृत के साथ जारी किया गया है।

परिणामी वरिष्ठता की रक्षा करने का उद्देश्य, जैसा कि हमारे संवैधानिक इतिहास से पता चलता है, संविधान के 85 वें संशोधन में अंतर्निहित एक स्पष्ट उद्देश्य था। इस तरह की संवैधानिक चुनौती नहीं हो सकती है। बिना किसी विशिष्ट अभिवचन के घेर लिया जाए। हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि अग्रिम चुनौती के अभाव में इस तरह के अभ्यास की अनुमति नहीं होगी।

19] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

66. सूरज भान मीणा (उपरोक्त) मामले में याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान राज्य द्वारा 25 अप्रैल 2008 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी थी।

28 दिसंबर 2012 से राजस्थान "विभिन्न सेवा नियमों" में संशोधन करते हुए संविधान के अनुच्छेद 309 का प्रावधान। इसे इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि हटाना देने के बराबर है मात्रात्मक संग्रह की कवायद किए बिना अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए परिणामी वरिष्ठता

डेटा।

67. यूपी पावर कॉर्पोरेशन (सुप्रा) में, एक विशिष्ट था

वरिष्ठता से संबंधित परिणामी आदेशों पर आपत्ति जताई गई थी। एक बार फिर, चुनौती इस आधार पर थी कि नागराज (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले के अनुसरण में जो अभ्यास आवश्यक था, उसे पूरा नहीं किया गया था। 68. पन्नीर सेल्वम (ऊपर) में, तमिलनाडु राजमार्ग इंजीनियरिंग सेवा के लिए विशेष नियमों के नियम 12 में प्रावधान किया गया है कि

नियुक्तियों का आरक्षण (सामान्य नियम 22) सहायक मंडल अभियंताओं की सीधी भर्ती और सहायक अभियंताओं की नियुक्ति के स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति पर लागू होगा। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नियम 12 में परिणामी वरिष्ठता का प्रावधान नहीं है और परिणामी वरिष्ठता के प्रावधान के अभाव में नियम लागू होगा। पन्नीर सेल्वम (ऊपर) में मुकदमेबाजी में वर्तमान जैसी स्थिति शामिल नहीं थी जहां 20 मार्च 2003 के जी. आर. में विशेष रूप से परिणामी वरिष्ठता का प्रावधान किया गया है।

69. बी. के. पवित्रा (ऊपर) में निर्णय में एक विशिष्ट बात शामिल थी

आरक्षण (राज्य की सिविल सेवाओं में पदों के लिए) अधिनियम 2002 के आधार पर पदोन्नत सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता के कर्नाटक निर्धारण की वैधता को चुनौती। इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने इस अधिनियम को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि राज्य ने "अनिवार्य आवश्यकता" स्थापित करने के लिए कोई कवायद नहीं की थी।

क्योंकि राज्य द्वारा कोई सामग्री अभिलेख पर नहीं रखी गई थी।

सुधाकर बाबूराव नांगनूर बनाम। नोरेश्वर रघुनाथराव शेंड [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

(उपर्युक्त) एक ऐसा मामला था जिसमें परिणामी वरिष्ठता के प्रावधान के अभाव में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पकड़ नियम प्रबल होगा। वर्तमान मामले में, 20 मार्च 2003 के जी. आर. में परिणामी वरिष्ठता के लिए एक विशिष्ट प्रावधान है। न्यायाधिकरण के समक्ष शुरू की गई कार्यवाही में जी. आर. को चुनौती के अभाव में, इस स्तर पर ऐसी चुनौती पर विचार नहीं किया जा सकता है। 71. अपीलार्थी की ओर से यह आग्रह किया गया है कि 11 अगस्त 2011 को पहले प्रतिवादी को जे. डी. टी. पी. के रूप में जो पदोन्नति दी गई थी, वह है -

विशुद्ध रूप से तदर्थ और नियमित नहीं किया गया है। इस प्रस्तुति को तीन दस्तावेजों पर भरोसा करके पुष्ट किया गया हैः

(i) 11 अगस्त 2011 का पदोन्नति आदेश जिसमें कहा गया है कि जे. डी. टी. पी. के पद पर पहले प्रतिवादी को एक तदर्थ पदोन्नति दी गई है, जो आयोग के निर्णय के परिणाम के अधीन है।

2004 की लिखित याचिका 8452 में बॉम्बे उच्च न्यायालय;

((ii) राज्य द्वारा एम. ए. टी. के समक्ष दाखिल किया गया जवाबी हलफनामा जो

इसमें कहा गया हैः

" श्री एन. आर. शेंडे (अनुसूचित जाति) को सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना बोर्ड के साथ-साथ सरकार की मंजूरी से पदोन्नति के लिए प्रचलित नियमों की उचित प्रक्रिया और प्रावधानों का पालन करने के बाद 11/08/2011 पर नगर नियोजन के संयुक्त निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। हालाँकि उनकी पदोन्नति तदर्थ आधार पर और नियमित पद पर है, लेकिन इसे महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की मंजूरी से नियमित किया जाएगा। यहां तक कि आवेदक को भी शहर के संयुक्त निदेशक के उन्नत पद पर पदोन्नत किया जाता है।

सरकारी प्रस्ताव दिनांक 02/07/2013 के अनुसार तदर्थ आधार पर योजना बनाना और इसे महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की मंजूरी से भी नियमित किया जाएगा।

(iii) 8 मार्च 2016 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा संबोधित एक प्रश्न का उत्तर जिसमें कहा गया है किः

" श्री एन आर शेंडे, संयुक्त निदेशक, नगर योजना को नगर योजना के संयुक्त निदेशक के पद पर तदर्थ पदोन्नति दी गई है। टीपीवी-1110/624/CR.170/2010/[2019] 4 एस. सी. आर.

यूडी-27 डीटी। 11.08.2011 . प्रावधान किया गया है कि उक्त पदोन्नति को सामान्य प्रशासन की सहमति से नियमित किया जाएगा महाराष्ट्र लोक सेवा विभाग और अनुमोदन

आयोग "।

72. प्रस्तुतिकरण का एक अन्य अंग यह है कि पहले प्रतिवादी को जो पदोन्नति दी गई थी, वह जी. ए. डी. परिपत्र के संदर्भ में थी।

दिनांक 27 अक्टूबर 2008 जिसमें आरक्षित श्रेणियों के बीच आरक्षित पदों की अंतर-परिवर्तनशीलता पर विचार किया गया था। इस परिपत्र को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि आरक्षण अधिनियम 2004 के अधिनियमन के बाद, पदों की अदला-बदली विशेष रूप से प्रतिबंधित थी। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि जे. डी. टी. पी. का एक नियमित पद पहले उत्तरदाता के लिए तभी उपलब्ध हुआ जब 29 दिसंबर 2012 को संवर्ग की संख्या दो से बढ़कर आठ हो गई, जिसके परिणामस्वरूप आरक्षित श्रेणियों के पदों में एक से बढ़कर तीन हो गए। अपीलार्थी की दलीलों का यह आग्रह करते हुए विरोध किया गया है कि पहले प्रतिवादी की पदोन्नति को तदर्थ माना गया है क्योंकि 2004 की रिट याचिका 8452 में न्यायाधिकरण/उच्च न्यायालय के समक्ष आरक्षण अधिनियम 2004 के लिए एक चुनौती लंबित थी।

73. अपीलार्थी का प्रस्तुत करना इस परिकल्पना पर आधारित है कि पहले प्रत्यर्थी की पदोन्नति तदर्थ है और इसलिए, वह 20 मार्च को जी. आर. के संदर्भ में परिणामी वरिष्ठता का हकदार नहीं है। 2003 , जो "पदोन्नति की नियमित तिथि" की बात करता है। इस प्रस्तुति का आकलन करते समय, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 11 अगस्त 2011 का पदोन्नति का आदेश इस कारण को इंगित करता है कि पदोन्नति को तदर्थ क्यों माना गया था। इसका कारण बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष 2004 की रिट याचिका 8452 का लंबित होना था, जिसमें

आरक्षण अधिनियम 2004। वास्तव में, 2 जुलाई 2013 के पदोन्नति आदेश, जिसके द्वारा अपीलार्थी को जे. डी. टी. पी. के पद पर पदोन्नत किया गया था, में यह भी कहा गया है कि पदोन्नति तदर्थ है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के मामले में भी पदोन्नति को तदर्थ मानने का कारण यह है कि 2004 की रिट याचिका 8452 की विचाराधीनता।

74. महाराष्ट्र राज्य द्वारा 1 अप्रैल 2008 को सभी विभागों को एक नीति परिपत्र जारी किया गया था जिसमें निर्देश दिया गया था कि पदोन्नति निम्न के अधीन होगी - उपरोक्त रिट याचिका में निर्णय का परिणाम। सुधर बाबूराव नांगनूर बनाम में बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिकाएं।

नोरेश्वर रघुनाथराव शेंड [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

रिट याचिका 3 9 39 इस न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है। न्यायाधिकरण ने 28 नवंबर 2014 के अपने आदेश द्वारा आरक्षण अधिनियम, 2004 और 25 मई 2004 के जी. आर. को रद्द कर दिया। न्यायाधिकरण के फैसले पर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 20 मार्च 2015 को रोक लगा दी थी। 4 अगस्त 2017 को उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के फैसले को इस हद तक दरकिनार कर दिया कि उसने आरक्षण अधिनियम 2004 को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने संवैधानिक वैधता के मुद्दे को खुला रखा। महाराष्ट्र राज्य ने एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है जो इस न्यायालय के समक्ष लंबित है।

75. प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गिरि ने कहा कि हालांकि पदोन्नति के क्रम में तदर्थ शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन पहले प्रत्यर्थी को जे. डी. टी. पी. के पद पर पदोन्नत करने से पहले पदोन्नति की उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था। इस निवेदन का आग्रह करते हुए, श्री गिरि ने महाराष्ट्र सरकार के उप सचिव द्वारा प्रधान सचिव, सेवा, जी. ए. डी. को 7 जनवरी 2011 को भेजे गए पत्र पर भरोसा किया है। वे प्रस्तुत करते हैं कि (i) जे. डी. टी. पी. के संवर्ग में केवल दो पद उपलब्ध थे, जिनमें से एक आरक्षित श्रेणियों के लिए अलग रखा गया है; (ii) आरक्षित श्रेणियों में से उक्त पद को भरने के लिए कोई अन्य योग्य अधिकारी उपलब्ध नहीं था और इसलिए पहले प्रतिवादी की पदोन्नति के लिए सिफारिश की गई थी; और (iii) किसी भी स्थिति में, अपीलकर्ता जो एक खुली श्रेणी का उम्मीदवार है, उसे इन पदों को भरने का अधिकार नहीं हो सकता है।

आरक्षित श्रेणियों के लिए एक पद पर नियुक्ति जिस पर पहले प्रतिवादी नियुक्त किया गया था।

निदेशक, नगर नियोजन के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाना। अपीलार्थी को 2 जुलाई 2013 को जे. डी. टी. पी. के पद पर पदोन्नत किया गया था। श्री गिरि ने आग्रह किया है कि भले ही पकड़ नियम इस आधार पर प्रबल हो कि पहले प्रतिवादी की पदोन्नति केवल तदर्थ हैः (i) नगर योजना और मूल्यांकन निदेशालय (भर्ती) नियम 2011 का नियम 3 यह निर्धारित करता है कि जे. डी. टी. पी. के पद पर आसीन अधिकारी को डी. टी. पी. के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र माने जाने के लिए आवश्यक रूप से कम से कम तीन साल के लिए पद पर कार्य करना चाहिए; (ii) डी. टी. पी. के पद से श्री राजन कोप की सेवानिवृत्ति के बाद, पद में एक रिक्ति 30 अप्रैल 2016 को उत्पन्न हुई; (iii) उस तारीख को जब डी. टी. पी. के पद में रिक्ति हुई थी, अपीलकर्ता ने तीन साल के अनुभव की पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया था।

जे. डी. टी. पी. के रूप में और वरिष्ठ-सबसे योग्य अधिकारी के रूप में पहला प्रतिवादी, इस पद पर नियुक्त होने का हकदार था। राज्य ने 5 अक्टूबर 2015 को एक जी. आर. जारी किया है जिसके तहत पदोन्नति के लिए न्यूनतम आवश्यक अनुभव निर्धारित करने की शर्त में ढील नहीं दी जा सकती है और (iv) वरिष्ठता और पात्रता अलग-अलग अवधारणाएं हैं और केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति वरिष्ठ है, किसी व्यक्ति को विचार के लिए योग्य नहीं बनाता है।

77. उपरोक्त आधार पर, यह आग्रह किया गया है कि भले ही जे. डी. टी. पी. के पद पर अपीलार्थी पर पकड़ नियम लागू किया गया हो, वह नियम 3 के संदर्भ में डी. टी. पी. के रूप में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के योग्य नहीं था, जिसके लिए जे. डी. टी. पी. के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव आवश्यक है। कैच-अप नियम, इस प्रस्तुतिकरण में, एक ऐसे व्यक्ति के संबंध में एक काल्पनिक स्थिति का प्रावधान करता है जिसे पहले एक आरक्षित श्रेणी के तहत पदोन्नत किया गया था। दूसरे शब्दों में, पकड़ नियम पात्रता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक वास्तविक सेवा प्रदान नहीं करेगा।

78. रिक्ति होने की तारीख को पात्रता पर विचार किया जाना चाहिए। 30 अप्रैल 2016 को, अपीलार्थी ने डी. टी. पी. के पद के लिए आवश्यक पात्रता को पूरा नहीं किया। पहले के निर्णय पर हमला करने में

प्रत्यर्थी, जैसा कि हमने नोट किया है, अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि 11 अगस्त 2011 को जे. डी. टी. पी. के रूप में पहले प्रत्यर्थी की पदोन्नति 27 अक्टूबर 2008 के एक परिपत्र के तहत थी जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने इस निवेदन पर विचार करते हुए कहा है कि पदोन्नति का आदेश, जब यह 11 अगस्त 2011 को जारी किया गया था, वैधता की छाप थी। इसके अलावा, यहां तक कि अपीलार्थी ने भी यह स्थिति अपनाई कि चूंकि 27 अक्टूबर 2008 के सरकारी परिपत्र के संदर्भ में पहले प्रतिवादी को पदोन्नति दी गई थी, इसलिए उनका मानना था कि उनके पास 28 अगस्त 2014 को प्रकाशित जे. डी. टी. पी. की वरिष्ठता सूची पर आपत्ति करने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने नोट किया है कि 11 अगस्त 2011 को पहले प्रतिवादी की पदोन्नति के बाद, अपीलार्थी को 2 जुलाई 2013 को पदोन्नत किया गया था और जब 15 जनवरी 2016 को दूसरी वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिया गया था, तभी अपीलार्थी ने फरवरी 2016 में ओ. ए. दायर किया था। इस बीच, अपीलार्थी ने लगभग पाँच साल की अवधि के लिए जे. डी. टी. पी. के रूप में काम किया था। इस विलंबित चरण में वरिष्ठता के मुद्दे को चुनौती देने की अनुमति देने से इनकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने रोशन लाल बनाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पी चित्तरंज मेनन बनाम ए बालकृष्णन 41 और अमरजीत सिंह बनाम देवी रतन 42।

40 (1980) पूरक। एस. सी. सी. 449 41 (1977) 3 एससीसी 255

42 (2010) 1 एस. सी. सी. 417 सुधाकर बाबूराव नांगनूर बनाम। नोरेश्वर रघुनाथराव शेंड [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड, जे.]

79. देरी, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय के साथ उचित रूप से तौला गया है। इसके साथ एक समान रूप से प्रासंगिक विचार है जो आवश्यक है। अदालत के साथ तौलः अपीलार्थी ने जे. डी. टी. पी. के रूप में प्रथम प्रतिवादी की नियुक्ति को चुनौती नहीं दी है। चुनौती देने में विफल

नियुक्ति, अब अपीलार्थी के लिए यह दावा करना खुला नहीं है कि नियुक्ति को इस आधार पर शून्य माना जाना चाहिए कि जिस परिपत्र के आधार पर पहले प्रतिवादी को पदोन्नत किया गया था, उसे बाद में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक फैसले में दरकिनार कर दिया गया है।

80. प्रथम प्रत्यर्थी ने आग्रह किया है कि जे. डी. टी. पी. के रूप में उनकी नियुक्ति को अपीलार्थी द्वारा इस कारण से चुनौती नहीं दी गई थी कि कोई भी चुनौती

सीमा की सीमा को आकर्षित किया होगा। कारण जो भी हो, तथ्य यह है कि न्यायाधिकरण के समक्ष दायर ओ. ए. में जे. डी. टी. पी. के रूप में पहले प्रतिवादी की नियुक्ति पर हमला नहीं किया गया है। नतीजतन, अपीलार्थी के लिए इस आधार पर चुनौती देने का अधिकार नहीं है कि नियुक्ति एक परिपत्र पर आधारित थी जिसे नियुक्ति के बाद अमान्य माना गया था। यह निवेदन कि नियुक्ति नियम 3 (च) के अर्थ के भीतर आकस्मिक है, लेकिन पहली प्रतिवादी को उसकी नियुक्ति के परिणाम और उसकी परिणामी वरिष्ठता से वंचित करने की कोशिश करने का एक और तरीका है।

81. नगर योजना और मूल्यांकन निदेशालय (भर्ती) नियम 2011 के नियम 3 में निम्नलिखित प्रावधान हैंः

" 3. नगर नियोजन निदेशक, समूह-ए के पद पर नियुक्ति वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए सख्त चयन के आधार पर एक उपयुक्त व्यक्ति की पदोन्नति द्वारा की जाएगी।

निदेशालय में नगर योजना के संयुक्त निदेशक का पद धारण करने वाले व्यक्ति, जिनकी तीन साल से कम नियमित सेवा नहीं है।

उस पोस्ट में "।

अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से जे. डी. टी. पी. के रूप में तीन साल के अनुभव की पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया। 2 जुलाई 2013 को पदोन्नत किए गए अपीलार्थी ने नियम 3 द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं किया। श्री पटवालिया द्वारा यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी द्वारा डी. डी. टी. पी. और जे. डी. टी. पी. के पदों पर कार्यकाल को निर्धारित करने के उद्देश्य से एक साथ जोड़ा जाना चाहिए। 43 महासंघ, (2013) 5 एमएच एलजे 640 [2019] 4 एस. सी. आर.

पात्रता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि नियम 3 स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि एक योग्य जे. डी. टी. पी. के पास उस पद पर तीन साल की नियमित सेवा होनी चाहिए।

82. आर प्रभा देवी बनाम भारत संघ 4 में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित शब्दों में सिद्धांत तैयार कियाः

" नियम बनाने वाला प्राधिकारी किसी उच्च पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता शर्त निर्धारित करने वाले नियम बनाने में सक्षम है। जब इस तरह की पात्रता की शर्त सेवा नियमों द्वारा निर्धारित की गई है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि एक सीधी भर्ती जो पदोन्नतियों से वरिष्ठ है पात्रता शर्त का पालन करने की आवश्यकता नहीं है और वह केवल अपनी वरिष्ठता के आधार पर उच्च पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का हकदार है।

किसी विशेष संवर्ग में वरिष्ठता किसी लोक सेवक को उच्च पद पर पदोन्नति का हकदार नहीं बनाती है जब तक कि वह संबंधित नियमों द्वारा निर्धारित पात्रता शर्त को पूरा नहीं करता है। पदोन्नति के लिए विचार किए जाने से पहले किसी व्यक्ति को पद के लिए निर्धारित योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति के लिए पात्र होना चाहिए। वरिष्ठता केवल पात्र व्यक्तियों के बीच प्रासंगिक होगी। वरिष्ठता को पात्रता के लिए प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है और न ही अगले उच्च पद पर पदोन्नति के मामले में इसे ओवरराइड किया जा सकता है।

सेवा में वरिष्ठता और पात्रता अलग अवधारणाएँ हैं।

न्यायशास्त्र। वरिष्ठता अपने आप में प्रबल नहीं हो सकती है जहां एक वरिष्ठ के पास उच्च पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता की कमी है [इस संदर्भ में पालूरे भास्कर राव बनाम पी रामसेशाय 1 5 देखें]। भले ही विवाद का

कैच-अप नियम की प्रयोज्यता पर अपीलार्थी को स्वीकार किया जाना था, जो अगले उच्च पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्त को पूरा करने की उसकी आवश्यकता को उस तारीख को समाप्त नहीं करेगा जब रिक्ति हुई थी। 83. अपीलार्थी 11 अगस्त 2011 को जे. डी. टी. पी. के रूप में पहले प्रतिवादी की नियुक्ति को चुनौती देने में विफल रहा। अपीलार्थी परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने वाले 20 मार्च 2003 के परिपत्र को चुनौती देने में विफल रहा।

इस न्यायालय के समक्ष विकसित की गई चुनौती का आधार अभिवचनों में आधारहीन है। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की सरलता और उद्यम,

अंतिम विश्लेषण, एक अपर्याप्त अभिवचन का विकल्प बनें।

45 (2017) 5 एस. सी. सी. 783 सुधाकर बाबूराव नांगनूर बनाम। नोरेश्वर रघुनाथराव शेंड [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

84. एक प्रस्तुति को इस सिद्धांत के आधार पर आगे बढ़ाने की मांग की गई थी कि नियमों के विपरीत की गई नियुक्ति केवल

आकस्मिक और नियुक्त व्यक्ति को वरिष्ठता का लाभ प्रदान नहीं करता है

सेवा में नियमित/मूल नियुक्तियों के अलावा (संजय के सिन्हा-द्वितीय बनाम बिहार राज्य)। इसी सिद्धांत पर भूपेंद्र नाथ हजारिका बनाम असम राज्य 47 में जोर दिया गया थाः

" .....जब बुनियादी ढांचा पूरी तरह से अवैध इमारत पर स्थापित किया जाता है, तो पिछली सेवा की गिनती के लिए दावा करने का प्रयास

एक पिरामिड का निर्माण संस्थापक के लिए बाध्य है।

[पी. वी. जॉर्ज बनाम केरल राज्य 48 और बी. ए. लिंगा रेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य परिवहन प्राधिकरण भी देखें।

प्रस्तुत करना कि उच्च न्यायालय की निरस्त करने की शक्ति का संभावित रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है)]। 85. प्रस्तुतियों का उत्तर सरल हैः अपीलार्थी ने किसी भी स्तर पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति को चुनौती नहीं दी

86. उपरोक्त कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलों में कोई सार नहीं है। उच्च न्यायालय का फैसला किसी भी हस्तक्षेप का आह्वान नहीं करता है, हालांकि उन कारणों के लिए जो हमने इंगित किए हैं। दीवानी अपील खारिज हो जाएगी। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

2019 के नागरिक आवेदन संख्या 2471-2473

@ विशेष छूट याचिका (नागरिक) सं। 14041-14043 2018 का

87. आज 2018 की सिविल अपील्स @स्पेशल लीव पिटिशन (सी) संख्या 8769-8771 में दिए गए फैसले को देखते हुए, इन अपीलों को भी बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

46 (2004) 10 742 47 (2013) 2 एस. सी. सी. 516 पर एस. सी. सी. 734

48 (2007) 3 एससीसी 557 4 9 (2015) 4 एससीसी 515 994

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2019 का एम. ए. संख्या 2983-2985

@ 2017 की विशेष छूट याचिका (नागरिक) Nos.33086-33088

88. 2018 की सिविल अपील्स @स्पेशल लीव पिटिशन (सी) संख्या 8769-8771 में आज दिए गए फैसले को देखते हुए, ये एम. ए. हैं -

बी.

प्रमुख अपीलों में निर्णय और आदेश के संदर्भ में निपटाया गया।

दिव्या पांडे